राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 14

शुक्रवार;

19 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में धरना एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन में बहुमत के निर्णय के आधार पर माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ को निलम्बित किया गया था। अब वह अजनबी के रूप में यहां न रहें। कृपया यहां से पधार जाएं।

(सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोर-शराबा)

मैं भाजपा के उप नेता महोदय से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपया सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने के लिए उक्त माननीय राजेन्द्र राठौड़ को बाहर जाने का निर्देश दें। भाजपा के उप नेता महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अजनबी के रूप में उपस्थित माननीय राजेन्द्र राठौड़ को यहां से चले जाने के लिए वह निर्देश दें।

(सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

मुझे विवश होकर सदन के निर्णय की पालना कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही को मजबूर होना पड़ेगा। मेरा पुन: निवेदन है कि कृपया अजनबी के रूप में कोई सदस्य इस सदन में न विराजें। मुझे मजबूर होकर कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अजनबी के रूप में कोई माननीय सदस्य यहां न विराजें। (व्यवधान) बाहर निकालो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं भारी शोर-शराबा)

(श्री अध्यक्ष)

श्री भवानी सिंह राजावत।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

श्री रामहेत सिंह।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

श्री केसाराम चौधरी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

श्री वासुदेव देवनानी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें।)

श्री दौलतराज समेजा।

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

225. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रीको द्वारा वर्ष 2001 से जनवरी, 2010 तक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला श्रीगंगानगर में कृषि आधारित उद्योग विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) रीको द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में एक औद्योगिक क्षेत्र रायसिंहनगर वर्ष 2000-01 में स्थापित कर भूखण्ड आबंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसे विकसित करने पर 31.12.09 तक 165.69 लाख रुपये व्यय हुए हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में 138 भूखण्ड नियोजित हैं जिनमें से 105 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं।

(2) रीको द्वारा श्रीगंगानगर में स्थित उद्योग विहार में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष रूप से एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है जिसमें कृषि एवं प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्योगों को भूखण्डों का आबंटन किया गया है। उक्त एग्रो फूड पार्क के अतिरिक्त उद्योग विहार क्षेत्र के विस्तार हेतु 81.11 एकड़ भूमि अवाप्ताधीन है जिसमें अन्य उद्योगों के अलावा कृषि आधारित उद्योग भी स्थापित हो सकेंगे।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड एक में जबाव दिया है कि 105 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। कृपया 105 भूखण्ड जो आबंटित किये गये हैं, उनकी सूची बतावें। 105 भूखण्ड की सूची।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, 105 भूखण्डों की सूची भिजवा दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा।

डा. दिगम्बर सिंह (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण

227. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में जनवरी, 2004 से 2009 तक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कुल कितनी सड़कें निर्मित एवं नवीनीकृत/मरम्मत की गईं और उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एक भी सड़क का निर्माण/नवीनीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सड़कों का रखरखाव करने में सक्षम नहीं है? क्या सरकार उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मण्डी समिति क्षेत्र में वर्ष 2009 में विकास हेतु कितनी राशि के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये तथा सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(12.05 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(उक्त व शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे पृष्ठ सं. 9 से 72 पर देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.05 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

श्री सभापति: विराजो, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। आप थोड़ा चेयर से नीचे, चेयर से नीचे, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह जो सारा घटनाक्रम चला है ...(व्यवधान) मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं।

धरना

(भारतीय जनता पार्टी के उप नेता श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा सदन के वैल में आमरण अनशन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कोई पहले हाउस को आर्डर में लो, उसके बाद कोई बात है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, किस बात पर दी जा रही है? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): किन नियमों में बोल रहे हैं? आपने इजाजत दी है क्या? (व्यवधान) किस बात पर बात कर रहे हैं? (व्यवधान) आप हाउस को पहले आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): किस बात पर दी जा रही है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो तो सही। सचेतक महोदय हैं न बोलने वाले, आप तो विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सदन के समक्ष विषय मौजूद है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह किन नियमों में बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, नहीं बोलने दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

एक माननीय सदस्य: नियमों की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) विराजो तो सही। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): उनको बाहर निकाल दीजिए सदन से, उसके बाद में कार्यवाही चलनी चाहिए। फिर हम बैठ जायेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। आप तो उधर पधारो, आप तो उधर जाओ न। बैठे हैं न तिवाड़ीजी। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): + + + है क्या, सभापति महोदय? (व्यवधान) क्या है, सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पहले बाहर निकालो उसके बाद में कोई कार्यवाही चालू हो। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): +++ समझ रखा है बी.जे.पी. के लोगों ने, +++ बना रखा है यह हाउस को। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री ओम जोशी (फलौदी): सदन को हंसी का पात्र नहीं बनाया जाय। (व्यवधान) राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, ...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): राजस्थान की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है और यहां +++ कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): हम चाहते हैं कि पहले निलम्बित सदस्य को बाहर निकाला जाए, उसके बाद में कोई कार्यवाही चले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, विपक्ष की बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा निवेदन है श्री राजेन्द्रजी राठौड़ से, चूंकि सदन उनको निष्कासित करने का फैसला किया हुआ है इसलिए वे सदन से बाहर चले जाएं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री बृजकिशोर शर्मा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री प्रकाश चन्द चौधरी।

समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2009-10 का प्रतिवेदन (क्र. सं. 1)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2009-2010 का वित्त, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वक्फ, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, सहकारिता, राजस्व, खनिज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयुर्वेद, परिवहन, शिक्षा, समाज कल्याण, उद्योग, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि विपणन, प्रारम्भिक शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा, इंदिरा गांधी नहर, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, भू-संरक्षण, कृषि, कार्मिक, सहायता व सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो।

माननीय सदस्य, विराजो, विराजो, विराजो।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमराराम।

श्री बाबूसिंह राठौड़। श्री हरिसिंह रावत।

श्री बाबूलाल बैरवा।

श्री शांति कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

(महिला बाल कल्याण सहित) की प्रस्तुति

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,39,09,96,000 (सोलह अरब उनतालीस करोड़ नौ लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

मांग संख्या-7 निर्वाचन की प्रस्तुति

श्री सभापति: श्री अशोक बैरवा। श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-7- निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,36,94,000/- (तीस करोड़ छत्तीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

(मांग संख्या 33 व 7 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सभापति: मैं नाम पुकारूं वही अंकित हो, बाकी और कोई चीज अंकित मत करिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल।

मांग संख्या 33 व 7 पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के बाबत अपना रिप्लाई टेबल करके आपसे निवेदन करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाए।

(माननीय मंत्री के उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में निरन्तर नारेबाजी)

श्री सभापति: विराजो, आप विराजो, आप विराजो। श्री अशोक बैरवा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-7- निर्वाचन के बाबत अपनी रिप्लाई को टेबल करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि मांग को पारित किया जाए।

(माननीय मंत्री के उत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 33 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,39,09,96,000/- (सोलह अरब उनतालीस करोड़ नौ लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,36,94,000/- (तीस करोड़ छत्तीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.13 बजे दिनांक 22 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

माननीय सदस्य द्वारा नहीं पुकारे गये तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा शहर को बाढ़ से वचाने हेतु डाइवर्जन चैनल योजना का निर्माण कार्य

221. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए डाइवर्जन चेनल के द्वितीय चरण व आलनिया बांध के जल स्तर को बढ़ाने की योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो योजना की लागत क्या है और इसे कब स्वीकृत किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाद इसका शिलान्यास भी कर दिया था? यदि हां, तो शिलान्यास के दो वर्ष बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उक्त योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। उक्त योजना का शिलान्यास दिनांक 16.09.2008 को तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये बिना ही किया था। अब नगर विकास न्यास, कोटा के द्वारा इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु रुपये 5.00 लाख की सहमति दी है जिसके आधार पर टेण्डर लगा दिये गये हैं।

किशनगढ़-बास के विद्यालयों में रिक्त पद

222. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़-बास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत दो वर्षों में कितने विद्यालय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त नव क्रमोन्नत विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं तथा प्रधानाचार्य के पद सृजित किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में क्रमोन्नत एवं पूर्व में संचालित सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत 02 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण इस प्रकार से है:-

रामावि से राउमावि में		राउमावि से रामावि में	
1	घासोली	1	सिवाना
2	खानपुर मेवान	2	राताखुर्द
		3	तरवाला
		4	बघोडा
		5	नूरनगर
		6	माछरोली
		7	बा. आन्नद नगर खैरथल
		8	धीकाका
		9	पतलिया
		10	ऊजोली
		11	आकोली
		12	गुणसार

(2) जी हां। उक्त सभी रामावि से राउमावि में क्रमोन्नत विद्यालयों में 01 प्रधानाचार्य तथा 03 व्याख्याता के पद सृजित किये गये हैं तथा राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नत प्रत्येक विद्यालयों में 01 प्रधानाध्यापक (मावि) का पद सृजित किया गया है। वरिष्ठ अध्यापक का पद किसी भी उक्त नव क्रमोन्नत विद्यालय में सृजित नहीं किया गया है।

(3) जी हां। प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

जोधपुर शहर की कालोनी/बस्तियों में आवश्यक सुविधाएं

223. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर में ममता नगर आवासीय कॉलोनी कहां एवं किस खसरा नं. में अवस्थित है? क्या कालोनी में बिजली, पानी एवं सड़कों की व्यवस्था है?

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) उक्त कालोनी में कितने प्लाट हैं एवं उनके मालिक कौन-कौन हैं? विवरण मालिक का नाम मय पूर्ण पता सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कालोनी में ऐसे कितने प्लाट हैं, जिनकी दो-दो रजिस्ट्रियां हैं? प्लाट नं. एवं मालिक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी के मकानों के आवासीय पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) जोधपुर शहर में कहां-कहां कच्ची बस्तियां आबाद हैं? कालोनियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर में ममता नगर आवासीय कालोनी ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 125 में अवस्थित है। कालोनी में बिजली की व्यवस्था है। पानी व सड़कों की व्यवस्था नहीं है।

(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त कालोनी की 90बी व ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं किया गया है। अत: प्लाटों की संख्या व मालिक के बारे में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) रजिस्ट्रीयों का कोई रिकार्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण में नहीं रखा जाता है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनी स्वीकृत नहीं होने के कारण इस कालोनी संबंधी सम्पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण रजिस्ट्री संबंधी व मालिक आदि की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) 90बी की कार्यवाही पूर्ण होकर-ले आउट प्लान स्वीकृत होकर लैण्डयूज चैन्ज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पट्टे जारी किये जा सकेंगे। 17.06.1999 से पूर्व की कालोनी होने के कारण सुओ मोटो 90बी (1) में प्राधिकरण द्वारा नोटिस समाचार पत्रों में छपवाया गया है।

(5) जोधपुर शहर की कच्ची बस्तियों की सूची मय विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(6) जी हां। कच्ची बस्ती नियमन नीति को दृष्टिगत रखते हुए पात्र व्यक्तियों का नियमन किया जावेगा। माननीय उच्च न्यायालय में आदेश संशोधन हेतु सरकार द्वारा आवेदन किया गया है, न्यायालय से स्वीकृति मिलने के बाद नियमन सम्भव हो पायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अवैध वाहनों के संचालन पर रोक

224. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर शहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रादेशिक, अतिरिक्त प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को यात्री वाहनों के अवैध संचालन, माल ढुलाई व ओवर लोडिंग एवं बस स्टैण्डों के आसपास निजी बसों व जीपों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो कब ?

(2) अब तक इन निर्देशों की कितनी पालना हो चुकी है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

(3) क्या सरकार जनता की आवश्यकता अनुसार साधन उपलब्ध कराने हेतु कार्य-योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। यात्री वाहनों के अवैध संचालन, माल ढुलाई, ओवरलोडिंग एवं बस स्टैण्डों के आस-पास निजी बसों व जीपों के संचालन पर रोक लगाने के संबंध में समय-समय पर निर्देश प्रदान किए गए हैं। जारी निर्देशों/आदेशों की तिथि निम्नानुसार है-

क्र.सं.	दिनांक
1	निर्देश दिनांक 3.03.2010
2	निर्देश दिनांक 21.12.2009
3	निर्देश दिनांक 1.02.2010
4	आदेश दिनांक 30.03.2009
5	आदेश दिनांक 21.05.2009
6	आदेश दिनांक 28.01.2010
7	निर्देश दिनांक 06.02.2009
8	निर्देश दिनांक 15.06.2009
9	निर्देश दिनांक 09.11.2009
10	निर्देश दिनांक 17.11.2009

(2) जारी निर्देशों की पालना नियमित रूप से की जाती है। उक्त संबंध में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक 15727 यात्री वाहनों के चालान बनाए जाकर पांच करोड चार लाख सडसठ हजार रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई है।

(3) इस हेतु कार्य योजना विचाराधीन है जिसमें नये नगरीय उपमार्ग खोले जाना तथा विद्यमान मार्गों का वृद्धिकरण किया जाना शामिल है। इसी

(यातायात मंत्री)

प्रकार पंचायत मुख्यालयों को तहसील मुख्यालय से परिवहन सेवाओं को जोड़ने की योजना भी विचाराधीन है।

उदयपुर के पांच सितारा होटल में वानिकी एवं जैव विविधता प्रोजेक्ट हेतु आयोजित सेमीनार

226. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सह सही है कि 19 फरवरी, 2010 से 21 फरवरी, 2010 तक वानिकी एवं जैव विविधता प्रोजेक्ट के लिये सरकार द्वारा उदयपुर के फाइव स्टार होटल में सेमिनार आयोजित की गई थी? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा उक्त सेमिनार में कुल कितना खर्चा आया ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी खर्चों में कटौती व मितव्ययता के लिये केन्द्र व राज्य सरकार ने अलग-अलग परिपत्र जारी कर रखे हैं? यदि हां, तो परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने वानिकी एवं जैव विविधता प्रोजेक्ट के लिये जापान से कुल कितना ऋण किन-किन शर्तों पर लिया तथा ऋण में से कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

उत्तर

(1) जी नहीं । 19 फरवरी, 2010 से 21 फरवरी, 2010 तक वानिकी एवं जैव विविधता प्रोजेक्ट के लिये सरकार द्वारा उदयपुर में सेमिनार का आयोजन किसी फाइव स्टार होटल में नहीं किया गया था। उक्त सेमिनार परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित की गई।

(2) जी हां। सरकारी खर्चों में कटौती एवं मितव्ययता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 07.09.2009 अनुसंलग्नक 'क' एवं 08.9.2009 अनुसंलग्नक 'ख' तथा राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 16.09.2009 अनुसंलग्नक 'ग' जारी किये गये हैं। परिपत्रों की प्रति सदन के पटल पर आवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

(3) राज्य सरकार को वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के लिये जापान की संस्था ''जापान बैंक आफ इन्टरनेशलन कारपोरेशन'' से रुपये 369.54 करोड़ ऋण के रूप में लिये गये। इस ऋण की शर्तों की प्रति अनुसंलग्नक 'घ' सदन की पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। जिसके विरूद्ध माह जनवरी 2010 तक कुल रुपये 324.82 करोड़ का व्यय हुआ।

(परिपत्र व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी की सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण

227. डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में जनवरी, 2004 से 2009 तक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कुल कितनी सड़कें निर्मित एवं नवीनीकृत/मरम्मत की गई और उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एक भी सडक का निर्माण/नवीनीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सड़कों का रखरखाव करने में सक्षम नहीं है? क्या सरकार उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मण्डी समिति क्षेत्र में वर्ष 2009 में विकास हेतु कितनी राशि के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये तथा सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले के अन्तर्गत आने वाली कृषि उपज मण्डी समितियों में जनवरी 2004 से 2009 तक 3 नवीन सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाया गया तथा 122 सम्पर्क सड़कों पर नवीनीकृत एवं 184 सम्पर्क सड़कों पर मरम्मत का कार्य करवाया गया। उक्त पर विधान सभा क्षेत्रवार व्यय का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट क्रमश: अ, ब, एवं स पर अंकित है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति केकड़ी के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

नहीं होने के कारण किसी भी नवीन सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया। विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 16 सम्पर्क सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य करवाया गया जिसका विवरण परिशिष्ट द पर अंकित है।

(3) जी हां। मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जीर्ण-शीर्ण सड़कों पर नवीनीकरण एवं मरम्मत करवाने का कार्य करवाया जा सकेगा।

(4) फिलहाल कृषि उपज मण्डी समिति केकड़ी के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इन सड़कों का नवीनीकरण कार्य नहीं करवाया जा सका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को इन सड़कों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

(5) वर्ष 2008-09 में कृषि उपज मण्डी समिति केकड़ी द्वारा 17 सड़कों के निर्माण, जिनकी लम्बाई 46.72 कि.मी. है एवं अनुमानित लागत 417.72 लाख रु. के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ के सड़क विहीन ग्राम

228. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 31 जवनरी, 2010 तक कुल कितनी ग्राम पंचायतें व ग्राम पक्की सड़कों से जुडे हुए नहीं थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत व ग्राम पक्की सड़क से जुडे हुए नहीं हैं, उन्हें पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि 250 तक की आबादी के सभी गांवों को सड़कों से जोडा जाएगा? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कितने गांव सड़क विहीन हैं और अब इन गांवों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 31 जनवरी, 2010 तक पक्की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़कों से बिना जुडी ग्राम पंचायतों की संख्या शून्य है तथा पक्की सड़क से बिना जुडे ग्रामों की संख्या 37 है। विवरण परिशिष्ट-'अ' में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त 37 ग्रामों में 1 ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम यड़क योजना में स्वीकृत हैं जिसका भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित है, 4 ग्राम मेटल सड़क से जुडे है तथा इनका डामरीकरण वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में होने के कारण नहीं कराया जा सका है। शेष 32 ग्रामों में से 2001 की जनगणना पश्चात् घोषित एक नवीन राजस्व ग्राम की सम्पर्क सड़क का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बसावटों के नवीन प्रस्तावों में भारत सरकार को भेजा गया है तथा 18 ग्रामों की सम्पर्क सड़कों का कार्य महानरेगा योजना में ग्रेवल स्तर तक स्वीकृत है। शेष 13 ग्राम जिनकी आबादी 250 से कम है उनकों जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

राज्य सरकार द्वारा (जनगणना 2001 के आधार पर) तीन वर्षो में सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के सभी ग्रामों को ग्रेवल सड़क से महानरेगा योजना में जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 250 से 499 तक की जनसंख्या के कुल 21 ग्राम पक्की सड़क से वंचित है । इनमें से 3 ग्राम मेटल सड़क से जुडे हैं, जिनका डामरीकरण वन्य जीव अभयारणय क्षेत्र में होने के कारण नहीं कराया जा सका है। शेष सभी 18 ग्रामों का सड़क निर्माण ग्रेवल स्तर तक महानरेगा में स्वीकृत है। इनमें से 8 कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं 10 कार्य प्रगतिरत हैं। विवरण परिशिष्ट-'ब' में प्रस्तुत है।

राज्य सरकार ग्रवेल सड़कों को डामरीकरण कराने हेतु प्रयत्नशील है, परन्तु यह सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी नहीं। वर्तमान में 250 से कम आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

229. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवनों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वर्तमान में संचालित बाल विकास परियोजना भोपालगढ़, मण्डोर एवं औसियां के अधीन कुल 255 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 19 मिनी आंगनगाडी केन्द्र संचालित हैं। (सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।)

(2) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कुल 199 आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवनों में एवं शेष 75 केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं। राजकीय भवनों में चल रहे 199 केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	भवन के स्वामित्व की प्रकृति	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	विभागीय भवन	116
2.	विद्यालय भवन में संचालित	49
3.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन में संचालित	10
4.	सामुदायिक भवनों में संचालित	12
5.	अन्य नि:शुल्क भवनों में संचालित	12
6.	किराये के भवनों में	75
	योग	**274**

(3) राज्य में किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्दों को राजकीय भवनों में स्थानान्तरित करने की दृष्टि से केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष उपलब्ध कराकर स्थानान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं तथा उपलब्धता अनुसार केन्द्र स्थानान्तरित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता अनुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में नाबार्ड के सहयोग से 380 आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यो की स्वीकृत प्रक्रियाधीन है। जिनमें भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र रतकुडिया-1 एवं 2, मंगेरिया एवं कलेवाखुर्द के 4 भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जायल के ग्रामों में माता सुख लिग्नाइट प्लांट से जलापूर्ति

230. श्रीमती मंजू देवी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं संचालित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 120 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मातासुख लिग्नाइट प्लांट से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब तथा पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उक्त पेयजल योजनाओं को चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में निम्न पेयजल योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं-

तहसील	**विभिन्न जल योजना अन्तर्गत लाभान्वित ग्राम**			
	पाइप्ड	**क्षेत्रीय**	**पम्प एवं टैंक**	**कुल लाभान्वित ग्राम**
जायल	14	86	40	140
नागौर	3	21	9	33
योग	**17**	**107**	**49**	**173**

(2) जी हां। तहसील जायल के 120 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मातासुख-फाड़ोदा जायल-झाडेली की माह जुलाई, 2007 में राशि रुपये 124.73 करोड़ की स्वीकृति के अन्तर्गत 71 ग्रामों को मार्च, 2010 तक तथा शेष 49 ग्रामों को सितम्बर, 2010 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार ।

बाड़मेर के विद्यालयों में रिक्त पद

231. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्तमान में कितने राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद स्वीकृति और कितने पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हो, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 11 छात्र रा. मा. वि. कुल 41 विद्यालय संचालित है।

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 395 रा. प्रा. वि. संचालित है।

(2) उक्त विद्यालयों में से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

उक्त विद्यालयों में से प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

स्वीकृत			कार्यरत		
II ग्रेड अध्या.	**III ग्रेड अध्या.**	**प्रबोधक**	**II ग्रेड अध्या.**	**III ग्रेड अध्या.**	**प्रबोधक**
196	1450	124	184	983	124

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदौन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

परिशिष्ट-''क''

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	जिला	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
			व्या.	व.अ.	अध्या.	व्या.	व.अ.	अध्या.
1	राबाउमावि अतरी देवी बाड़मेर	बाड़मेर	3	7	11	0	7	11
2	राबाउमावि बाड़मेर	बाड़मेर	15	12	0	0	12	0
3	रामावि महाबार	बाड़मेर	0	6	1	0	6	1
4	रामावि हरसानी फाण्टा	बाड़मेर	0	5	10	0	5	6
5	रामावि रामूबाई बाड़मेर	बाड़मेर	0	4	3	0	4	1
6	रामावि नांद	बाड़मेर	0	5	1	0	5	0
7	रामावि रामदेरिया	बाड़मेर	0	5	1	0	5	1
8	रामावि बोला	बाड़मेर	0	5	5	0	5	3
9	रामावि लगेरा	बाड़मेर	0	5	7	0	5	5
10	रामावि बालेरा	बाड़मेर	0	6	4	0	6	3
11	रामावि जसाई	बाड़मेर	0	6	1	0	6	1
12	रामावि सुथारों का तला	बाड़मेर	0	6	1	0	6	0
13	रामावि चूली	बाड़मेर	0	6	1	0	6	1

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	जिला	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
			व्या.	व.अ.	अध्या.	व्या.	व.अ.	अध्या.
14	रामावि बलउ	बाड़मेर	0	1	5	0	1	4
15	रामावि भादरेश	बाड़मेर	0	1	5	0	1	4
16	रामावि कुरजा	बाड़मेर	0	1	8	0	1	8
17	रामावि सुराचारणाण	बाड़मेर	0	1	7	0	1	3
18	रामावि मिठरा	बाड़मेर	0	1	7	0	1	4
19	रामावि सोनडी	बाड़मेर	0	1	3	0	1	2
20	रामावि सरली	बाड़मेर	0	5	7	0	5	4
21	रामावि गालाबेरी	बाड़मेर	0	1	8	0	1	7
22	रामावि पूनियों की बस्ती	बाड़मेर	0	1	4	0	1	4
23	रामावि बरखा	बाड़मेर	0	5	8	0	5	4
24	रामावि चौखला	बाड़मेर	0	4	0	0	1	0
25	रामावि मातासर	बाड़मेर	0	1	4	0	4	2
26	रामावि मुढो की ढाणी	बाड़मेर	0	1	3	0	1	3
27	रामावि कपूरडी	बाड़मेर	0	1	5	0	1	5

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	जिला	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
			व्या.	व.अ.	अध्या.	व्या.	व.अ.	अध्या.
28	रामावि ढेढा	बाड़मेर	0	1	6	0	1	5
29	रामावि खरियातला	बाड़मेर	0	1	5	0	1	2
30	राउमावि सियाणी	बाड़मेर	3	6	1	1	6	1
31	राउमावि विशाला	बाड़मेर	3	6	1	2	6	0
32	राउमावि राणीगांव	बाड़मेर	4	6	1	3	5	1
33	राउमावि सनावडा	बाड़मेर	5	6	3	3	6	2
34	राउमावि स्टे. रोड बाड़मेर	बाड़मेर	83	6	0	36	6	0
35	राउमावि गांधी चौक	बाड़मेर	9	42	0	7	41	0
36	राउमावि सरलू	बाड़मेर	3	5	6	2	4	5
37	राउमावि मगने की ढाणी	बाड़मेर	3	6	2	3	5	1
38	राउमावि रावतसर	बाड़मेर	5	6	3	4	6	1
39	राउमावि चवा	बाड़मेर	5	6	1	4	6	0
40	राउमावि कवास	बाड़मेर	5	6	2	5	6	0
41	रामावि कादरे की ढाणी	बाड़मेर	0	1	3	0	1	3
	कुल योग		**116**	**207**	**154**	**77**	**203**	**108**

नगरपालिका नगर (भरतपुर) द्वारा कराये गये विकास कार्य

232. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में नगरपालिका नगर (भरतपुर) द्वारा कितना व क्या-क्या विकास कार्य करवाया गया?

(2) क्या उक्त विकास कार्यों हेतु बोर्ड की अनुमति ली गई? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कस्बा नगर में सडकों व आम रास्तों पर जल भराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त में सुधार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में नगरपालिका नगर द्वारा करवाये गये विकास कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरपालिका की साधारण सभा की बैठकों में पारित प्रस्तावानुसार विकास कार्य करवाये गये हैं। सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(3) जी हां। नगरपालिका स्तर पर ड्रेनेज लेवल का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे उपरान्त नाला निर्माण की योजना बनाई जावेगी ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन में नमक उत्पादन हेतु अधिगृहित भूमि का उपयोग

233. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गत दो वर्षों पूर्व विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नमक उत्पादन हेतु चिन्हित व अधिग्रहित भूमि का कब्जा उद्योग विभाग द्वारा लेने के उपरान्त भी सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई? यदि हां, तो क्यों और उसका लाभ कब तक मिलने लग जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चौहटन के नमक उत्पादन हेतु चिन्हित व अधिगृहित भूमि का कब्जा उद्योग विभाग द्वारा लेने के उपरान्त इस क्षेत्र की टेक्नो इकोनोमिक फिजीबिलिटी सर्वे रिपोर्ट तैयार कराने हेतु भारत सरकार के

(उद्योग मंत्री)

नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय नमक एवं समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर (गुजरात) को कार्यादेश दिया गया है।

संस्थान द्वारा फिलीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संस्थान से विस्तृत सर्वेक्षण एवं टेक्नो इकोनोमिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खारे पानी की सही-सही स्थिति ज्ञात होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जोधपुर जिले में आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन

234. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में वन रक्षित क्षेत्र में लम्बे समय से अवैध खनन कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त अवैध खनन कार्य को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वन रक्षित क्षेत्र में अवैध खनन कार्य रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर में रक्षित वन क्षेत्र में लम्बे समय से कोई अवैध खनन निरन्तर रूप से नहीं चल रहा है।

(2) खनिज विभाग द्वारा आबंटित खानों के नजदीक स्थित वन भूमि पर यदा-कदा अवैध खनन की घटना होती है। उसको रोकने के लिए विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त की जाती है। इसके अतिरिक्त अभियान के रूप में खनिज विभाग के अधिकारियों, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से गश्त की जाती है। यदि कहीं कोई अवैध खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिला जोधपुर के वन क्षेत्र में अवैध खनन लगभग बन्द है। अवैध खनन की चोरी छुपे यदा-कदा छुट-पुट घटना होती है।

(3) जोधपुर जिले के वन क्षेत्रों में अवैध खनन सख्ती से रोका हुआ है तथा आगे भी यथासम्भव किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं करने दिया जावेगा।

बनास नदी राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या-12 पर पथकर की वसूली

235. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड और स्थायी पुलों के उपयोग के लिये फीस लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर टोल टैक्स लिये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस कारण से, किस योजनान्तर्गत, किस तारीख से वाहन वार कितनी-कितनी राशि? नियमों की प्रति एवं वसूल की जाने वाली दरों की सूची सहित पृथक्-पृथक् विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिया/राजमार्ग निर्माण में व्यय सीमा तक राशि वसूल की जाकर टोल टैक्स संग्रहण बंद कर दिया जाता है किन्तु अनेक स्थानों पर पथकर संग्रहण सतत् रूप से किया जा रहा हे? यदि हां, तो क्यों तथा इस प्रकार की वसूली को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? इस बाबत किये गये पत्र व्यवहार की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 में बनास नदी पर मई 1994 में रुपये 721.00 लाख व्यय कर निर्मित पुलिया के पास 12-5-1994 से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक की जा रही टोल टैक्स वसूली के क्या कारण हैं तथा अबकब तक वसूली नाका हटा दिया जायेगा? अब तक की गई वसूली राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड और स्थाई पुलों के उपयोग के लिए फीस लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित चार स्थाई पुलों मय रींगस बाइपास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, योजना, टोल टैक्स प्रारम्भ की तारीख तथा वाहन वार राशि का विवरण परिशिष्ट-1, 2, 3 एवं 4 पर संलग्न है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड पर उक्त नियम के तहत वसूल किये जा रहे टोल टैक्स का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। वसूल की जाने वाली दरों की सूची विवरण सहित परिशिष्ट-1, 2, 3, 4 एवं 5 पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.टी. योजना में निर्मित राजमार्ग/पुलिया निर्माण में व्यय सीमा तक राशि वसूल की जाकर टोल टैक्स संग्रहण बंद कर दिया जाता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड और स्थाई पुलों के संबंध में जारी लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के बिन्दु 2(J) व 11 के तहत पथकर संग्रहण (टोल टैक्स) निरन्तर निर्धारित दरों पर किये जाने का प्रावधान है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.01.08 द्वारा लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के तहत टोल वसूली निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थाई पुलिया/राजमार्ग प्रखण्ड पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। चूंकि सतत वसूली का प्रावधान भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 16-04-2007 में है, अत: इस प्रकार की वसूली को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। इस बाबत टोंक के नजदीक बनास नदी पर बने पुल के बारे में किये गये पत्र व्यवहार की प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 में बनास नदी पर निर्मित पुल पर रुपये 720.65 लाख व्यय कर दिनांक 12.05.94 से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है लोकवित्त पोषित परियोजना नियम 1997 के बिन्दु 2(J) व 11 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16.4.2007 में सतत वसूली के प्रावधान के क्रम में उनके पत्र दिनांक 25.01.08 द्वारा टोल वसूली निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त गजट नोटिफिकेशन के तहत टोल टैक्स वसूली निरन्तर की जा रही है। चूंकि सतत् वसूली का प्रावधान है, अत: टोल वसूली का नाका हटाना प्रस्तावित नहीं है। अब तक वसूल की गई राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

झाडोल के नवीन पर्यटन स्थल

236. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कमलनाथ, रामकुण्डा व पानखा जनता के आस्था केन्द्र हैं? क्या सरकार उक्त स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में इन स्थलों के पर्यटन विकास सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर जिले की वृहद् पेयजल योजना की स्वीकृति

237. श्री मलखान सिंह (लूणी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चौखा बड़ली-गोलासनी पेयजल परियोजना, जोधपुर के लिए बजट स्वीकृत किया है? यदि हां, तो कब व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जोधपुर की केक-बेरू जोतीयाली, माणकलाव-दइजर-बनाड़ पेयजल, कुड़ी-भण्टिडा पेयजल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है व इसकी अनुमानित लागत क्या-क्या है और इन्हें कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले पड़े बोरवेलों से जानमाल की हानि हुई है? यदि हां, तो राजस्थान में वर्ष 2008 व 2009 में कितने बच्चों की मौत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन खुले बोरवेलों को बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। योजना स्वीकृति नहीं हुई है।

(2) जिला जोधपुर की वर्णित पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है:-

स्वीकृत योजना	स्वीकृति माह/वर्ष	स्वीकृत राशि रु.	व्यय राशि रु.	वर्तमान स्थिति
केरू-बेरू-जोलियाली प्रथम चारण	अगस्त,2003	5.56 करोड़	7.067 करोड़	योजना पूर्ण।
	संशोधित फरवरी, 2010	7.469 करोड़		
केरू-बेरू-जोलियालीद्वितीय चरण	जुलाई, 2007	32.01 करोड़	-	कार्य प्रगति पर है।

(जल संसाधन मंत्री)

स्वीकृत योजना	स्वीकृति माह/वर्ष	स्वीकृत राशि रु.	व्यय राशि रु.	वर्तमान स्थिति
माणकलाव-दईजर-बनाड़-प्रथम चरण	अगस्त, 2003	18.96 करोड़	19.678	योजना पूर्ण।
माणकलाव-दईजर-बनाड़-द्वितीय चरण	जुलाई, 2007	22.16 करोड़	-	कार्यादेश प्रक्रियाधीन।
कुड़ी-भटिण्डा	अक्टूबर, 2006	18.28 करोड़	6.84 करोड़	कार्य प्रगति पर है।

आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उक्त प्रक्रियाधीन एवं प्रगतिरत योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी नहीं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संदर्भ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

(4) उपरोक्तानुसार।

प्रशिक्षित विद्यार्थी मित्रों को प्रबोधक के पद पर नियुक्ति

238. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण वर्तमान में विद्यार्थी मित्र कार्यरत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में पैराटीचर को प्रबोधक के पद पर नियुक्ति दी गई है? क्या सरकार बी.एड. व एस.टी.सी. विद्यार्थी मित्रों को भी प्रबोधक के रूप में स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों का संख्यात्मक विवरण का परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में पैराटीचर को प्रबोधक के पद पर नियुक्ति दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

जी नहीं। वर्तमान में अनुबंध पे कार्यरत प्रशिक्षित विद्यार्थी मित्रों को प्रबोधक के रूप में स्थायी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद पाली को न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी के विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि

239. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आवासन मण्डल पाली द्वारा न्यू हाउसिंग बोर्ड बस्ती, नगर परिषद पाली को हस्तान्तरित करते समय इसके विकास हेतु कितनी राशि नगर परिषद पाली को किस-किस कार्य हेतु कब हस्तान्तरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से नगर परिषद ने न्यू हाउसिंग बोर्ड में कौन-कौन से विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि न्यू हाउसिंग बोर्ड बस्ती की अधिकांश सड़कें अभी भी कच्ची हैं तथा पानी निकासी हेतु समुचित नाले नहीं हैं एवं बगीचे भी अविकसित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार आवासन मण्डल द्वारा दी गई राशि का उपयोग इस बस्ती के विकास में करवाने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पाली की न्यू हाउसिंग बोर्ड बस्ती नगर परिषद पाली को हस्तान्तरण करते समय रुपये 86.86 लाख दिनांक 14.01.2008 को दिये गये। उक्त राशि नगर परिषद, पाली द्वारा दिये गये तकमीनेनुसार दिये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. रोड कार्य	40.00 लाख
2. नाली निर्माण कार्य	24.26 लाख
3. विद्युतीकरण का कार्य	01.50 लाख
4. पार्क डवलपमेन्ट	03.50 लाख
	69.26 लाख
4.5% कन्टीजेन्स	03.12 लाख

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

	72.38 लाख
15% प्रोरेटा व टी.पी.	10.86 लाख
5% एक्सकुलेशन	03.62 लाख
	86.86 लाख

(2) उक्त राशि में से नव निर्माण हेतु परिषद ने 50.89 लाख व्यय कर दिये हैं। मदवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) न्यू हाउसिंग बोर्ड के रहवासी क्षेत्र में वर्तमान में कोई कच्ची सड़क नहीं है। रहवासी मकानों के बाहर सड़क व नाली निर्माण का कार्य करा दिया गया है। समुचित वर्षा के अभाव में पार्कों का अन्य विकास कार्य नहीं कराया जा सका। आवासन मण्डल द्वारा दी गई शेष राशि का उपयोग रिक्त भू-खण्डों पर भवन निर्माण के पश्चात किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय नगर परिषद, पाली

आवासन मण्डल से प्राप्त राशि का मदवार विवरण

क्रसं.	मद	प्राप्त राशि
1.	रोड कार्य	5016796/-
2.	नाली निर्माण कार्य	30242204/-
3.	विद्युत कार्य	188100/-
4.	पार्क विकास	438900/-
	योग	**8686000/-**

कार्यालय नगर परिषद, पाली

आवासन मण्डल से प्राप्त राशि में से परिषद द्वारा व्यय की गई राशि का मदवार विवरण

क्रसं.	मद	प्राप्त राशि
1.	रोड़ कार्य	4676375/-
2.	नाली निर्माण कार्य	313500/-
3.	विद्युत कार्य	99275/-
4.	पार्क विकास	-
	योग	**5089150/-**

आयुक्त नगर परिषद, पाली

प्राकृतिक तेल दोहन क्षेत्र बाड़मेर के समुचित उपयोग हेतु कार्य योजना

240. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2009 से प्राकृतिक तेल दोहन प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में इस क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किया जा रहा है तथा किस-किस प्राकृतिक ईंधन का दोहन किया जा रहा है और इससे राज्य को अब तक कितनी-कितनी आय किस-किस रूप में प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकाधिक आय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-कौनसी आय प्राप्त की जा सकती है और सरकार द्वारा अब तक इस दिशा में क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाने की सम्भावनाएं भी तलाशी जा रही हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले के मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 29.08.2009 से आरम्भ किया गया है। बाड़मेर-सांचोर बेसिन से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु वेल पेडस का निर्माण तथा मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के द्वितीय व तृतीय चरण का कार्य किया जा रहा है।

खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन से राज्य को रायल्टी के रूप में माह फरवरी, 2010 तक रु. 84.75 करोड़ की आय प्राप्त हुई है तथा केन्द्रीय बिक्री कर के पेटे लगभग 16.69 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(2) बाड़मेर-सांचोर बेसिन से खनिज तेल के युक्तियुक्त दोहन से अधिक राजस्व अर्जित करने हेतु प्रयासरत हैं। नान टैक्स राजस्व के रूप में रायल्टी तथा टैक्स राजस्व के रूप में बिक्रीकर प्राप्त हो रहा है।

बाड़मेर-सांचोर बेसिन से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु 3 विकास क्षेत्र क्रमश: 1859.00 वर्ग किमी., 430.17 वर्ग किमी. एवं 822.00 वर्ग किमी. के पेट्रोलियम खनन पट्टे केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से जारी किये गये हैं।

(खनिज राज्य मंत्री)

(3) जी हां। राज्य सरकार जिला बाड़मेर में तेल रिफाइनरी स्थापित करने हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है। इस संबंध में रिटायर्ड केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव, श्री एस.सी. त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट 31 मार्च, 2010 के उपरान्त उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

बायतू की मिसिंग लिंक सड़कें

241. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण किये जाने के उपरान्त भी एक सड़क से दूसरी सड़क नहीं जुड़ पाई है?

(2) क्या यह भी सही है कि मिसिंग लिंक के तहत कई सड़कों के भाग अपूर्ण हैं? यदि हां, तो जिला बाड़मेर में इस प्रकार की कितनी सड़कें हैं, जो मिसिंग लिंक के तहत विचाराधीन हैं?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बायतू की मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ना सम्पर्क की प्राथमिकता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्य की तकनिकी फिजीबिलिटी पर निर्भर करता है।

(2) जी हां। वर्ष 2007-08 में राज्य में कुल 872 स्वीकृत कार्यों में से 748 कार्य पूर्ण हुए, 7 कार्यो की स्वीकृति निरस्त की गई, 10 कार्य वन एवं भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हुये एवं 107 कार्य अपूर्ण हैं। जिला बाड़मेर में स्वीकृत मिसिंग लिंक में से कोई कार्य अपूर्ण नहीं है।

जिला बाड़मेर में वर्तमान में मिसिंग लिंक के तहत 315 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगी।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बायतू की मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विधान सभा क्षेत्र के अवैध शराब निर्माताओं को रोजगार हेतु कार्य योजना

348. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में गत दो वर्षों में अवैध शराब निर्माण का कार्य कहां-कहां पकड़ा गया तथा शराब की कितनी अवैध भट्टियां व निर्मित अवैध शराब नष्ट की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में शराब निर्माण कार्य में लगे लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर में अवैध शराब निर्माण कार्य में लगे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो किन किन को और कब व नहीं, तो क्यों और अब कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में गत दो वर्षों में ग्राम कुम्हेर, कारौली, दुदावत, कुकेन, घमूकेड़ी, खूटाखेरी, पसोपा, सहडूंगर, सेसन, तेस की बूडली, बिलानचिटपुरा, खार का नंगला, बंशीपहाड़पुर में अवैध शराब निर्माण का कार्य पकड़ा गया। अवैद्य भट्टियां व अवैध शराब नष्ट करने का विवरण निम्नानुसार है:-

नष्ट भट्टियों की संख्या - 45

अवैध शराब नष्ट - 1326 लीटर

(2) जी नहीं। नवजीवन योजना के अन्तर्गत राज्य में जिला कलक्टर्स के माध्यम से इसके प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। नगर विधान सभा क्षेत्र में नवजीवन योजना के तहत अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 62 व्यक्तियों का वैकल्पिक रोजगार हेतु चयन किया गया है। इनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा। चयनित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले में रेल वैगन निर्माण एवं स्टील फाउण्ड्री स्थापित करने के विचाराधीन प्रस्ताव

349. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अधीन जिला अलवर में रेल वैगन बनाने और स्टील फाउण्ड्री लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निवेशकर्ता कम्पनियों को सहयोग करते हुये शीघ्रातिशीघ्र उक्त दोनों कारखाने प्रारम्भ करवाने एवं उनमें जिला अलवर के लोगों को नियुक्तियों में वरीयता देने की शर्त अधिरोपित कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मैसर्स एम.टेक रेल कार इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. नई दिल्ली तथा मैसर्स मरीचिका प्रोपरट्रीज प्रा.लि. नई दिल्ली ने बी आई पी से उनके द्वारा खरीदी गई भूमि जो कि जिला अलवर में है, को सीलिंग से मुक्ति दिलाने हेतु निवेदन किया था। राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 12 जून, 2009 द्वारा सीलिंग से मुक्ति प्रदान की जा चुकी है। जिला कलक्टर अलवर के मार्फत मैसर्स मरीचिका प्रा.लि. नई दिल्ली के लिए ग्राम महुवा खुर्द की 22.2353 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि एवं मैसर्स मरीचिका प्रोपरट्रीज प्रा.लि. नई दिल्ली के लिये ग्राम महुवा खुर्द की 13.4024 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(2) ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नये उद्योगों हेतु प्राप्त प्रस्तावों को राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति (SLEC)/राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (RIPB) की बैठक में प्रस्तुत करता है। इन बैठकों में इकाईयों को दिये जाने वाली सुविधाओं/शर्तों के बारे में निर्णय लिया जाता है। वर्तमान निवेश प्रोत्साहन योजनाओं में स्थानीय लोगों की नियुक्ति में वरीयता की कोई शर्त लागू नहीं है।

श्रीगंगानगर जिले में खाद कारखाने की स्थापना

350. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

क्या सरकार जिला श्रीगंगानगर में खाद का कारखाना स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

श्रीगंगानगर जिले में खाद का कारखाना स्थापित करने के लिए वर्तमान में विभाग के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बूंदी शहर में कियोस्क आबंटन हेतु लम्बित प्रकरण

351. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दस वर्षों में राज्य सरकार द्वारा बून्दी शहर में कितने लोगों को कियोस्क आबंटित करने हेतु पत्र जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कियोस्क आबंटन हेतु कितने लागों द्वारा राशि नगरपालिका में जमा कराई गई तथा उनमें से कितने लोगों को कियोस्क आबंटित किये गये?

(3) क्या सरकार शेष बचे आवेदकों को कियोस्क आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका बून्दी द्वारा कियोस्क आबंटन हेतु लाटरी निकाली गयी जिसमें कुल 397 व्यक्तियों को कियोस्क हेतु भू-खण्ड आबंटित किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) नगरपालिका बून्दी में 324 व्यक्तियों द्वारा कियोस्क आबंटन हेतु राशि जमा करायी गयी। शेष 48 कियोस्क हेतु भू-खण्ड की राशि आवासन मण्डल जवाहर नगर बून्दी द्वारा जमा करवाई गयी एवं 25 कियोस्क हेतु भू-खण्ड की राशि विकास नगर स्थल में न्यायालय से स्टे होने के कारण राशि जमा नहीं करवाई गई। 324 व्यक्तियों हेतु कियोस्क की भूमि आबंटित की गई।

(3) पात्र व्यक्तियों को नगरपालिका द्वारा कियोस्क आबंटित कर दिये गये हैं, वर्तमान में योजना लागू नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण में मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पद

352. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में मंत्रालयिक संवर्ग के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कितनी-कितनी संख्या में?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन पदों को कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्राधिकरण में मंत्रालयिक संवर्ग के पद निम्नानुसार रिक्त हैं:-

नाम पद	रिक्त पद
कनिष्ठ सहायक	47
सहायक/वरिष्ठ सहायक	15
कार्यालय अधीक्षक	2

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नियमन कैम्प उपरान्त पट्टा लेने पर नियमन राशि के ब्याज पर छूट

353. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भू-खण्ड आबटित कर बसाई गई कालोनियों का वर्ष 2002 के पश्चात् से नियमन कर शहरी जमा बन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा विलेख जारी किये गये हैं? नियमन के सम्बन्ध में जारी मानदण्ड/ नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नियमों के अनुसार सरकार द्वारा नियमन हेतु लगाये गये कैम्प की तिथि के पश्चात् भूखण्डधारी द्वारा नियमन कराकर जयपुर विकास प्राधिकरण से पट्टा विलेख नहीं लेने पर उसे निर्धारित राशि ब्याज सहित जमा करानी पड़ती है?

(3) क्या कतिपय भूखण्डधारी आर्थिक समस्या के कारण उक्त अवधि में पट्टा लेने में असमर्थ रहे हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(4) क्या सरकार नियमन से शेष रहे भूखण्डधारियों को पैनल्टी स्वरूप लगने वाले ब्याज को माफ करने एवं इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमन के सम्बन्ध में जारी मानदण्ड/नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) ऐसे कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आये हैं।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मानसरोवर योजना, जयपुर में वर्ष 1979 के पश्चातवर्ती आवेदकों को आवास आबंटन

354. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना, जयपुर हेतु कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया व उक्त अधिग्रहण का उद्देश्य क्या था एवं अधिग्रहण की तिथि को कुल कितने आवेदक कतार में थे तथा आज तक कितने आवेदक अभी भी कतार में हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदकों के शेष रहते हुए मानसरोवर योजना में अन्य पश्चातवर्ती आवेदकों को आवास आबंटित किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या वर्ष 1979 के पश्चातवर्ती आवेदकों को मानसरोवर में आवास आबंटित किये जाने से वर्ष 1979 के आवेदकों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो उसके निराकरण के लिए मण्डल ने क्या प्रयास किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मण्डल की मानसरोवर योजना में अब तक पारिजात, कल्पतरू, स्ववित्त पोषित योजना, मण्डलकर्मी, पत्रकार, विधायकों, खुली बिक्री आदि के द्वारा कितने आवास आबंटित किये गये तथा उनमें कितनी भूमि का इस्तेमाल हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर की मानसरोवर योजना के अन्तर्गत कुल 649.31 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उक्त भूमि का अधिग्रहण मानसरोवर आवासीय योजना के प्रयोजनार्थ किया गया था। अधिग्रहण की तिथि को कुल 17859 आवेदक कतार में थे तथा वर्तमान में विभिन्न आय वर्ग के 692 आवेदक कतार में हैं।

(2) जी हां। वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदकों को आवासों का आबंटन वर्ष की वरियता एवं आवासों की उपलब्धता के आधार पर ही किया गया है। वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदकों के शेष रहते हुए मानसरोवर योजना में अन्य पश्चावर्ती आवेदकों को स्ववित्त पोषित योजना एवं विशिष्ठ पंजीकरण योजनाओं के तहत तथा अवशिष्ठ आवासों को नियमानुसार खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को वरियता (प्राथमिकता) प्रदान करते हुए आबंटित किये गये हैं।

(3) जी नहीं। वर्ष 1979 के पश्चावर्ती आवेदकों को मानसरोवर में आवास आबंटित किये जाने से वर्ष 1979 के आवेदकों के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि उपलब्ध आवासों का सदैव निर्धारित कोटा एवं वर्ष की वरियतानुसार तथा नियमानुसार किया गया है। लम्बित पंजीकृत आवेदकों हेतु 135 आवासों/फ्लैटों को लाटरी से आबंटित किया जा रहा है एवं वर्तमान में 84 फ्लैट निर्माणाधीन है व 24 फ्लैटों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

(4) मानसरोवर योजना में अब तक 26983 आवासों का विभिन्न संदर्भित श्रेणियों में आबंटन किया गया। उनमें से 26657 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है। योजना मानचित्र में दर्शाये गये आवासीय क्षेत्र में उक्त आवासों/फ्लैटों का निर्माण हुआ है जो पूर्ण योजना के क्षेत्रफल का 38.96 प्रतिशत है।

जयपुर शहर की राजकीय भूमि पर सरती नगर योजना के जारी पट्टे

355. श्री विनोद कुमार 'लीलांवाली' (हनुमानगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की ''सरती नगर'' योजना की भूमि ''कृषि सिलिंग एक्ट'' से प्रभावित होने के कारण राजकीय भूमि है?

(श्री विनोद कुमार)

(2) क्या राजकीय भूमि में उक्त सोसायटी द्वारा पट्टे जारी करना विधि सम्मत है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व नहीं, तो उक्त सोसायटी के विरुद्ध वर्ष 1982 से अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) राजकीय भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक किस किस व्यक्ति को पट्टे जारी किये जा चुके हैं ? नाम, भू-खण्ड सं. जमा राशि एवं दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की ''सरती नगर'' योजना की भूमि ''कृषि सिलिंग एक्ट'' से प्रभावित होने के कारण राजकीय भूमि है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-5(2)नविवि/3/99/पार्ट जयपुर दिनांक 27.10.1999 के अनुसार उस क्षेत्र की आरक्षित आवासीय दर का 25 प्रतिशत या 300/- रुपये प्रति वर्गगज जो अधिक हो लिया जाकर नियमन किया जा सकेगा। सरती नगर योजना का नियमन, राजकीय भूमि मानते हुये 345/- रुपये की दर से किया गया है।

(3) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-5(2)नविवि/3/99/पार्ट जयपुर दिनांक 27.10.1999 के अनुसार उस क्षेत्र की आरक्षित आवासीय दर का 25 प्रतिशत या 300/- रुपये प्रति वर्गगज जो अधिक हो लिया जाकर नियमन किया जा सकता है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) विवरण की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(प्रति व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जवाजा पंचायत समिति (अजमेर) की ग्राम पंचायतों को बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति

356. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध का निर्माण मात्र अजमेर जिले

(श्री शंकर सिंह)

की पेयजल समस्या के समाधान हेतु किया गया था तथा वर्तमान में बरसात की कमी से बांध में पानी बहुत कम है? क्या सरकार कम पानी के कारण बीसलपुर से जयपुर को पानी आपूर्ति बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर की 35 ग्राम पंचायतों को बीसलपुर का पानी देने की योजना हेतु वर्ष 2008 में 1.49 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी? क्या सरकार उक्त कार्य को चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि तहसील ब्यावर क्षेत्र के सीमेंट फैक्ट्री द्वारा बारह सौ फीट गहरे टयूबवैल खुदवा कर पानी का दोहन किया जा रहा है, क्या जिससे क्षेत्र का जल स्तर अत्यधिक नीचा हो गया है? क्या सरकार उक्त फैक्ट्री द्वारा खुदवाये गये ट्यूबवैल से पानी के दोहन पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध का निर्माण अजमेर सहित टौंक तथा जयपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति एवं टौंक जिले में सिंचाई हेतु किया गया था।

जी नहीं । वर्ष 2009 में कम वर्षा होने से बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण, वर्तमान संदर्भ में अजमेर एवं जयपुर जिले में आगामी मानसून तक सामान्य पेयजल आपूर्ति बनाये रखने के लिये बीसलपुर बांध से कम पानी की मात्रा प्राप्त की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत 199 ग्रामों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रुपये 149.30 करोड़ के प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति माह दिसम्बर, 2007 में जारी की गई थी। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी नहीं। सभी उपलब्ध सतही एवं भू-जल संसाधनों के न्यायोचित, सामयिक व सुदृढ़ आर्थिक विधि से उपयोग के लिये सुपरिभाषित राजकीय जल नीति की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नई राज्य जल नीति के प्रारूप का अनुमोदन मंत्रीमण्डल द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2010 को कर दिया गया है। निर्णय अनुसार नई जल नीति शीघ्र जारी की जा रही है।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बंद ट्यूबवैल एवं सिंगल पाइंट कनेक्शन

357. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पानी की टंकियां कहां-कहां स्थित हैं और उक्त में से कितनी जर्जर अवस्था में हैं? उक्त टंकियां किस वर्ष में बनाई गई थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जर्जर टंकियों के स्थान पर नई टंकियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने ट्यूबवैल या सिंगल पाइंट कनेक्शन कहां-कहां स्थित हैं जिनके विद्युत बिल व रखरखाव के बिल जनता को वहन करने पड़ते हैं? क्या उक्त प्रकार के सभी ट्यूबवैल या सिंगल पाइंट चालू अवस्था में हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ट्यूबवैल व सिंगल पाइप वर्तमान में बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न पेयजल योजना अन्तर्गत निर्मित कुल 48 भू-तल/स्वच्छ/उच्च जलाशयों में से 8 जलाशय मरम्मत योग्य खराब हैं कोई भी जलाशय जर्जर अवस्था में नहीं है। विभिन्न जल योजना अन्तर्गत स्थानवार स्थापित जलाशयों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

(3) (अ) जन सहभागिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा जन समुदाय को जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों में आयोजना, क्रियान्वयन तथा मरम्मत एवं संधारण में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की सैक्टर रिफार्म/स्वजलधारा योजना प्रान्त में लागू की गई थी। इस योजना अन्तर्गत उक्त क्षेत्र हेतु चालू की गई 10 योजनाओं अन्तर्गत निर्मित 17 जल स्त्रोतों के विद्युत बिल भुगतान सहित समस्त रख-रखाव ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति को वहन करना है। इन स्त्रोतों में से 7 स्त्रोत चालू एवं 10 स्त्रोत विभिन्न कारणों से वर्तमान में बन्द हैं।

(ब) उक्त क्षेत्र के 11 ग्रामों में निर्मित 13 सिंगल फेज नलकूपों में से 10 स्त्रोत चालू एवं 3 स्त्रोत विभिन्न कारणों से वर्तमान में बंद हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त योजनाओं अन्तर्गत स्थानवार चालू एवं बन्द जल स्त्रोत तथा विद्यमान विभागीय पेयजल व्यवस्था का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम की स्थापना

358. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला धौलपुर एवं विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में स्टेडियम स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में युवाओं को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला धौलपुर में स्टेडियम स्थापित करने हेतु रुपये 112.28 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्टेडियम का निर्माण कार्य भूमि आबंटन होने के पश्चात् प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (PYKKA) योजना के अन्तर्गत खेल मैदान के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में युवाओं को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजना के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर आधारभूत खेल अवसंरचना के निर्माण तथा खेल सुविधायें, उपकरण उपलब्ध करवाकर, ब्लाक और जिला स्तरों पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करने की योजना है एवं ''क्रीड़ाश्री'' के माध्यम से प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने की दृष्टि से व पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के तहत तैयार की गई सुविधाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक पंचायत में राजीव गांधी यूथ क्लबों का गठन किया जा रहा है। साथ ही राज्य के युवाओं को रचनात्मक कार्यों में शामिल किये जाने हेतु खेल नीति विचाराधीन है।

भोपालगढ़ तहसील हैडक्वार्टर पर खेल स्टेडियम का निर्माण

359. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ तहसील हैडक्वार्टर पर खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधायें) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ तहसील हैडक्वार्टर पर खेल स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ का केन्द्रीय प्रवर्तित योजना ''पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) योजना'' में चयन किया गया है जहां पर खेल मैदान का विकास कार्य करवाया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है।

कार्यालय खनिज अभियन्ता सीकर में लीज होल्डरों से बकाया की वसूली

360. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खनिज अभियन्ता कार्यालय सीकर में जनवरी, 2010 तक विभिन्न लीज होल्डर्स पर वर्षवार किस-किस पर कब से व कितनी-कितनी राशि बकाया है?

(2) सरकार द्वारा बकायादारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार द्वारा बकायादारों की सम्पत्ति नीलाम करने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) लीज होल्डर्स की बकाया के वर्षवार विवरण की सूची ''अ'' पर संलग्न है।

(2) बकायादारों से वसूली (नीलामी इत्यादि) की कार्यवाही के विवरण की सूची ''ब'' पर संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

361. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कितने पुलिस थाने स्थापित हैं तथा उक्त में कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत एक वर्ष में उक्त थानों में कितने अपराध दर्ज हुए व कितने अपराधों पर कार्यवाही कर अन्तिम रपट डाल दी गई एवं कितने अपराधों पर कार्यवाही क्यों लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल 4 थाने स्थापित हैं। थानेवार स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के थानों में वर्ष 2009 में 894 अभियोग दर्ज किये गये जिनमें से 321 में अंतिम रिपोर्ट दी गई तथा एक प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा केकड़ी में थानेवार स्वीकृत पद, वर्तमान पद एवं रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम थाना	स्वीकृत पद					वर्तमान पद					रिक्त पद	
		CI	SI	ASI	HC	FC	CI	SI	ASI	HC	FC	ASI	FC
1	केकड़ी	1	2	3	2	19	1	2	3	2	19	0	0
	चौकी केकड़ी	0	0	1	1	4	0	0	0	1	2	1	2
	चौकी सांपला	0	0	1	1	4	0	0	0	1	3	1	1
	चौकी बघेला	0	1	0	0	6	0	1	0	0	5	0	1
2	सांवर	0	1	2	1	15	0	1	2	1	11	0	4
3	भिनाय	0	1	4	1	15	0	1	3	1	15	1	0
	चौकी बान्दनवाड़	0	0	1	1	3	0	0	1	1	3	0	0
4	सरवाड़	0	1	3	1	15	0	1	3	1	15	0	0
	चौकी गोयला	0	0	1	1	4	0	0	0	1	2	1	2
5	**योग**	**01**	**06**	**16**	**09**	**85**	**01**	**06**	**12**	**09**	**75**	**04**	**10**

राजगढ़ तहसील (चूरू) के थानों में दर्ज प्रकरण

362. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में 1 जनवरी, 2009 से 15 जनवरी, 2010 तक विद्युत तार चोरी, ताले तोड़ने, चोरी व लूट आदि के कितने प्रकरण दर्ज हुए? थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व कितने प्रकरणों में माल बरामद हुआ?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में 1 जनवरी, 2009 से 15 जनवरी, 2010 तक विद्युत तार चोरी के 3 प्रकरण, ताले तोड़ने सम्बन्धी घटनाओं के 7 प्रकरण, चोरी के 44 प्रकरण, लूट का 1 प्रकरण दर्ज हुये हैं। कुल 55 प्रकरण दर्ज हुए हैं। थानेवार सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से 19 प्रकरणों में चालान तथा 33 प्रकरणों में एफआर न्यायालय में पेश किये गये हैं। 3 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। उक्त दर्ज प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में माल बरामद हुआ है।

परिशिष्ट-क

बिन्दु संख्या 1 व 2 :- दिनांक 1.1.2009 से 15.1.2010 तक विद्युत तार चोरी-

क्र. सं.	तहसील	नाम थाना	दर्ज प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें माल बरामद हुआ	नतीजा		
					चालान	एफआर	पैण्डिंग
1	राजगढ़	राजगढ़	2	-	-	2	-
2	राजगढ़	हमीरवास	1	1	1	-	-
3	राजगढ़	सिधमुख	-	-	-	-	-

दिनांक 1.1.2009 से 15.01.2010 तक ताले तोड़ने सम्बन्धी घटनायें-

क्र. सं.	तहसील	नाम थाना	दर्ज प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें माल बरामद हुआ	नतीजा		
					चालान	एफआर	पैण्डिंग
1	राजगढ़	राजगढ़	3	1	1	2	-
2	राजगढ़	हमीरवास	4	-	-	4	-
3	राजगढ़	सिधमुख	-	-	-	-	-

दिनांक 1.1.2009 से 15.01.2010 तक चोरी की घटनायें-

क्र. सं.	तहसील	नाम थाना	दर्ज प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें माल बरामद हुआ	नतीजा		
					चालान	एफआर	पैण्डिंग
1	राजगढ़	राजगढ़	28	9	11	16	1
2	राजगढ़	हमीरवास	11	3	2	8	1
3	राजगढ़	सिधमुख	5	4	4	1	-

दिनांक 1.1.2009 से 15.01.2010 तक लूट की घटनायें-

क्र. सं.	तहसील	नाम थाना	दर्ज प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें माल बरामद हुआ	नतीजा		
					चालान	एफआर	पैण्डिंग
1	राजगढ़	राजगढ़	-	-	-	-	-
2	राजगढ़	हमीरवास	1	-	-	-	1
3	राजगढ़	सिधमुख	-	-	-	-	-

रानीपुरा (अलीगढ़) जिला टोंक में हिरणों की सुरक्षा एवं देखभाल

363. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रानीपुरा (अलीगढ़) जिला टोंक क्षेत्र में विचरण करने वाले हरिणों की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु कम संख्या में वनकर्मी लगाये जाने के कारण हिरणों के शिकार तथा हिंसक जीवों द्वारा हिरणों को क्षति पहुंचाई जाने की घटनाएं होती रहती हैं, किन्तु उनकी जानकारी सरकार को समय पर नहीं हो पाती है? यदि हां, तो वहां तैनात वनकर्मियों के पदनाम सहित नामजद सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र को हिरणों के लघु अभयारण्य का दर्जा घोषित नहीं किये जाने से भी हिरणों के भरण-पोषण तथा चारे पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में विचरण करने वाले हिरणों के लिए गर्मी में स्थायी रूप से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त कार्यवाही की जाकर जल स्रोत/ट्यूबवैल आदि निर्मित करवाये जावेंगे? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। रानीपुरा (अलीगढ़) क्षेत्र पूर्णत: राजस्व क्षेत्र है जिसमें हिरण स्वच्छन्द रूप से विचरण करते हैं जिनकी सुरक्षा रानीपुरा ग्राम स्थित स्वयं सेवी संस्था दादू पर्यावरण संस्था द्वारा वन विभाग के सहयोग से की जाती है। वन विभाग में स्थाई कर्मचारियों की कमी के कारण इस क्षेत्र में कोई स्थाई कर्मचारी हिरणों की सुरक्षा के लिए तैनात नहीं है। इस क्षेत्र के समीप रेंज उनियारा का नाका भोजपुरा स्थित है जिसके अधीन कार्यरत वृक्षपालक श्री गिर्राज मीणा को इस क्षेत्र के लिए अलग से तैनात कर रखा है जिसके सहयोग से इन हिरणों की सुरक्षा की जाती है। अब तक केवल कमजोर हिरणों, गर्भवती मादा हिरण एवं बच्चों को कुत्तों द्वारा यदा कदा क्षति पहुंचाने की घटना हुई है। जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर यथा सम्भव कार्यवाही की जाती है। ग्रामीणों के जागरूक होने के पश्चात् पिछले दो वर्षों से इस क्षेत्र में हिरण के शिकार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(वन राज्य मंत्री)

(2) उक्त क्षेत्र पूर्णत: राजस्व क्षेत्र है एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लघु अभ्यारण्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) उक्त क्षेत्र पूर्णत: राजस्व क्षेत्र है एवं इस पर वन विभाग का नियंत्रण नहीं होने से इनके पेयजल आदि की व्यवस्था अस्थाई रूप से वन विभाग के सहयोग से स्वयं सेवी संस्था दादू पर्यावरण संस्था द्वारा टैंकर से पानी की व्यवस्था की जाती है। स्थाई जल स्त्रोत विकसित करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

वन मित्र योजनान्तर्गत युवकों को रोजगार

364. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस वर्ष वन मित्र योजना के तहत युवकों को मानदेय पर लगाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने कितने युवकों को लगाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत किस वन क्षेत्र के युवकों को रोजगार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन मित्र योजना के तहत वन मण्डलवार लगाये गये युवकों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) इस योजना के तहत जिन वन क्षेत्रों के युवकों को वन मित्र के रूप में लगाया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नई मण्डी घड़साना में स्थित नर्सरी का अन्यत्र स्थानान्तरण

365. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नई मण्डी घड़साना ग्रा.पं. 24 ए एस(सी) के चक 3 एसटीआर की 50 बीघा में लगी नर्सरी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

उत्तर

नई मण्डी घड़साना ग्राम पंचायत 24 ए एस(सी) के चक 3 एस टी

(वन राज्य मंत्री)

आर की 50 बीघा में लगी नर्सरी (वृक्षारोपण) को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना प्रस्तावित नहीं है। यह भूमि अवर्गीकृत वन भूमि है और राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अमल दरामद है। इस भूमि पर किया गया वृक्षारोपण एक सफल वृक्षारोपण है। उक्त भूमि एवं किये गये वृक्षारोपण को वन संरक्षण अधिनियम के तहत बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के हटाया जाना सम्भव नहीं है।

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम विगरला में वानरों का आतंक

366. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम विगरला में वन्य जीव बन्दरों का अत्यधिक आतंक होने से ग्रामीण जन परेशान हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

(2) क्या यह भी सही है कि बन्दरों द्वारा एक लड़की को काट लिया गया जिससे वह विकलांग हो गई? क्या सरकार उक्त लड़की को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विगरला गांव के बन्दरों को पकड़कर अरावली घाटी में छोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम विगरला में वन्य जीव बन्दरों की संख्या माह जनवरी 2010 के दौरान लगभग 150 थी। इन बन्दरों से ग्रामीण जन परेशान थे।

(2) जी हां। यह सही है कि माह जनवरी 2010 में गांव विगरला की सुश्री कविता पुत्री पेमाराम निवासी हिरानगर, विगरला को एक बन्दर द्वारा काट लिया गया था। उक्त लड़की अथवा लड़की के अभिभावक द्वारा उप वन संरक्षक, पाली के समक्ष सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(वन)/78 दिनांक 25.7.2005 के तहत मुआवजा स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) गांव विगरला में लगभग सभी बन्दरों को माह जनवरी 2010 के अन्त में पकड़ कर उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कुम्भलगढ़ के जंगलों में छोड़ दिया गया है।

पीपल्दा में गणेशगंज से ताथेड़ तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

367. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्थित गणेशगंज से ताथेड तक की सड़क खराब है? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में सड़क की स्थिति संतोषजनक है। सड़क पर मरम्मत कार्य आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कराया जाता है। उक्त सड़क की लम्बाई 56.20 कि.मी. में से 13 कि.मी. लम्बाई में सुदृढ़ीकरण का कार्य केन्द्रीय सड़क निधि में स्वीकृत है तथा निविदा प्रक्रियाधीन है।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण

368. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी में भाडौती से बस्सी सड़क पर बस्सी रेल्वे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. या अण्डरपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार दौसा लवाण रोड से तूंगा चाकसू सड़क राजमार्ग संख्या-2 की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 250 से 500 तक की आबादी के कितने ग्राम डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या सरकार उक्त ग्रामों में डामरीकृत सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। भाड़ौती से बस्सी वाया लालसोट-तूंगा सड़क राज मार्ग संख्या-24 पर बस्सी कस्बे में रेल समपार संख्या एल.सी.एस-200 स्थित है। वर्तमान में इस समपार पर आर.ओ.बी. या अण्डर पास बनाना सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस समपार पर आर.ओ.बी. या अण्डरपास का निर्माण, राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(2) जी हां। दौसा से दूदू वाया चाकसू राज मार्ग संख्या-2 की दो लेन में चौड़ाई बढ़ाने का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (वी.जी.एफ.) योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। इस परियोजना के तहत विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाये जाने हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जा चुका है। उद्यमियों से इस परियोजना के लिये फाइनेन्शियल प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त कार्य को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 250 से 500 तक की आबादी के कुल 19 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। 19 गांवों में से 18 गांव ग्रेवल/मैटल सड़क से जुडे हुए हैं, 1 गांव अभी जुड़ा हुआ नहीं है।

जी हां। उक्त ग्रामों के लिए डामरीकृत सड़क बनाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सिरोही जिले में बनास नदी पर निर्मित पुल पर टोल टैक्स

369. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही से आबू रोड़ शहर के मध्य बनास नदी पर वर्ष 1997-98 में 345.30 लाख रुपये में पुल निर्मित करवाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल से दिसम्बर, 2003 तक टोल टैक्स के रूप में रु. 204.50 लाख की वसूली की गई है?

(3) सरकार द्वारा जनवरी, 2004 से अब तक उक्त पुल से कितना टोल टैक्स वसूला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त टोल टैक्स को बन्द कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सिरोही से आबू रोड़ शहर के मध्य बनास नदी पर पुल का निर्माण वर्ष 1996 में 345.26 लाख रु. की लागत से पूर्ण किया गया था।

(2) जी हां, दिसम्बर 2003 तक संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार सकल वसूली 204.50 लाख रुपये हुई थी।

(3) सरकार द्वारा संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार जनवरी 2004 से फरवरी 2010 तक टोल टैक्स की सकल वसूली 435.39 लाख रुपये की हुई।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(4) राज्य सरकार की अधिसूचना (संलग्न परिशिष्ट-''स'') सं. एफ.8 (58)/पी.डब्लू.77/दिनांक 27.10.1994 के बिन्दु संख्या-4 अनुसार टोल वसूली -निर्माण लागत एवं परिव्यय जैसे मरम्मत व्यय, ब्याज एवं वसूली व्यय सहित पूर्ण हो जाने अथवा 30 वर्ष पूरे हो जाने तक, जो भी पहले हो, तक ही की जानी है। इस प्रकरण में संलग्न परिशिष्ट ''द'' के अनुसार अभी तक 495.78 लाख रु. की वसूली शेष है। अत: जैसे ही, इस राशि की (लागत मय परिव्यय) वसूली हो जाती है या 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है, टोल टैक्स की वसूली बन्द कर दी जावेगी।

(सूचियां, अधिसूचना व अन्य विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

झाडोल विधान सभा क्षेत्र के सड़क विहिन राजस्व ग्राम

370. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाडोल के राजस्व ग्राम सड़क से नहीं जुडे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम किन कारणों से?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में कुल 422 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 306 गांव सड़कों से जोड़े जा चुके हैं एवं 116 गांव बिना जुडे हैं। सड़कों से अब तक नहीं जोड़े गये गांवों की सूची, मय न जोड़े जाने के कारण परिशिष्ट-''1'' में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के सड़कों से बिना जुडे राजस्व गांवों में से 12 गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डामर सड़कों से जोड़ने एवं 26 गांवों को महानरेगा के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क से जोड़ने की स्वीकृति उपलब्ध है। नव सृजित राजस्व गांव 32 में से 9 राजस्व गांवों जो 2001 की जनगणना में राजस्व ग्राम न होकर बसावट थे, को डामर सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाकर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। शेष 69 राजस्व गांवों को जोड़ने का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डीडवाना विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

371. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत एवं सुधार हेतु आर.आई.डी.एफ. 14 व 15 सड़क मरम्मत मद से स्वीकृत कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो उक्त में से स्वीकृत प्रत्येक कार्य कितना-कितना व क्यों अपूर्ण है?

(2) क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को उचित गुणवत्ता जांच के साथ शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आर.आई.डी.एफ. 14 व 15 में स्वीकृत 6 कार्यों में से 1 कार्य पूर्ण व 5 कार्य प्रगतिरत हैं। स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण एवं कारण परिशिष्ट-''1'' में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त सभी कार्यों को दिनांक 15-04-2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के अधीन आर.आई.डी.एफ.-14 व 15 के तहत सड़क मरम्मत मद में स्वीकृत प्रगतिरत एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत योजना एवं फेज का विवरण	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	कार्य पूर्ण होने की अनुबन्धानुसार निर्धारित तिथि	अपूर्ण कार्य का विवरण	अपूर्ण रहने के कारण	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि
1	दौलतपुरा-बेगसर किमी. 9/0 से 15/350	आर.आई.डी.एफ.-14	5.00	04.11.2009	5.00 किमी. पटरी का कार्य अपूर्ण	संवेदक की धीमी प्रगति	15.4.2010
2	मौलासर-तोषीणा किमी. 5/0 से 9/550	आर.आई.डी.एफ.-14	4.55	04.11.2009	4.55 किमी. पटरी का कार्य अपूर्ण	संवेदक की धीमी प्रगति	15.4.2010
3	केराप-मामड़ोदा किमी. 0/0 से 5/0	आर.आई.डी.एफ.-14	3.00	04.11.2009	पूर्ण	पूर्ण	-
4	मौलासर-तोषीणा किमी. 20/0 से 25/0	आर.आई.डी.एफ.-15	4.00	26.02.2010	4.00 किमी. डामर व पटरी का कार्य अपूर्ण	संवेदक की धीमी प्रगति	15.4.2010
5	केराप-बुडोद आगून्ता किमी. 0/0 से 5/0	आर.आई.डी.एफ.-15	4.40	26.02.2010	4.40 किमी. पटरी का कार्य अपूर्ण	संवेदक की धीमी प्रगति	15.4.2010
6	कोलिया-खुनखुना किमी. 0/0 से 6/0	आर.आई.डी.एफ.-15	4.50	26.02.2010	1.10 किमी. डामर व 2.50 कि.मी. पटरी का कार्य अपूर्ण	संवेदक की धीमी प्रगति	15.4.2010

श्रीविजयनगर तहसील के घग्घर बहाव क्षेत्र में पुल निर्माण

372. श्री दौलतराज समेजा : (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, रायसिंहनगर की तहसील श्रीविजयनगर के मोटासर एवं 10ए.एस. ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के रास्ते में घग्घर बहाव क्षेत्र में पुल निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, रायसिंहनगर की तहसील श्रीविजयनगर के मोटासर एवं 10 ए.एस. ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली दोनों सड़कें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित हैं। कृषि विपणन बोर्ड में सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति से निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त तकमीना बनाकर मण्डी समिति को भिजवाया जाता है। विधान सभा क्षेत्र, रायसिंहनगर की तहसील श्रीविजयनगर की मोटासर एवं ग्राम पंचायत 10 ए.एस. को जोड़ने वाली सड़कों के रास्ते में घग्घर बहाव क्षेत्र में पुल निर्माण हेतु कृषि उपज मण्डी समिति श्रीविजयनगर का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, साथ ही उक्त दोनों सड़कों पर पुल निर्माण राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कें

373. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अब तक कितने राजस्व ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के 250 से अधिक जनसंख्या वाले राजस्व गांवों एवं हेबिटेशन ढाणियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अब तक 127 राजस्व ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा गया है, सूची परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के जनगणना 2001 पर आधारित 250 व अधिक आबादी के कुल 7 गांव वर्तमान में सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनमें से 6 गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृति उपलब्ध है। इस 6 गांवों में से 1 गांव को जून 2010 तक सड़क से जोड़े जाने का लक्ष्य है। शेष 5 गांवों (सूची परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है) में से 4 गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है एवं 1 गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य आंशिक लम्बाई में भूमि विवाद के कारण बाधित है। निराकरण होने पर ही इन 5 गांवों को सड़क से जोड़ा जा सकेगा।

शेष बिना जुड़े एक गांव लोपली नाडी, जिसकी जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या 415 है, को पूर्व में बाढ़ से जलमग्न होने के कारण प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, अब इसे प्रस्तावों में सम्मिलित किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की 250 व अधिक की आबादी 35 हेबीटेशन (ढ़ाणियां) सड़क से जुडी हुई नहीं हैं, जिन्हें सड़क से जोड़ने हेतु 125.68 किमी. लम्बाई की सड़क निर्माण के रु. 2402.05 लाख के प्रस्ताव (सूची परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिए गए हैं, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही इन ढाणियों को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर शहर में संचालित भवन विहीन राजकीय विद्यालय

374. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितने सरकारी विद्यालय भूमि-भवन विहीन अथवा किराये के भवनों में चल रहे हैं? उक्त विद्यालयों के लिए योजना क्षेत्र में आरक्षित विद्यालय भूमि आबंटन हेतु क्षेत्रीय नगर विकास न्यासों, उत्तरदायी संस्था प्रधानों, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कब-कब प्रस्ताव भेजे गये तथा प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई अथवा प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

श्याम सदन जो कि किराये के भवन में संचालित है, के भवन को खाली करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय अल्पभाषा राजमहल के विशाल सरकारी भवन की दूसरी पारी में संचालित करने हेतु शिफ्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा वर्तमान में जर्जर जोधपुर के सुनारों के न्याति भवन में किराये से संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त भवन के नवीनतम सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उक्त विद्यालय को शफीला हरिजन बस्ती में संचालित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट के सरकारी भवन में शिफ्ट कर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट को इसी नाम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर के विशाल सरकारी भवन के द्वितीय पारी में शिफ्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में से 2117 विद्यालय भवन विहीन हैं जिनमें से 408 विद्यालयों के पास भूमि उपलब्ध है शेष 1709 विद्यालयों के पास भूमि उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में 336 विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं। इन विद्यालयों में से नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.)/नगर निगम/विकास प्राधिकरण आदि शहरी संस्थाओं के परिक्षेत्र में भूमि विहीन विद्यालयों के लिये सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित संस्था/जिला कलक्टर को भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। इनका आबंटन प्रेषित किये गये अधिकारियों के स्तर पर लम्बित है। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भवन खाली करने के आदेश जारी नहीं किये गये, अपितु माननीय किराया अधिकरण जोधपुर ने दिनांक 7.3.2009 को जारी किये गये । प्रार्थी द्वारा इजरा सं. 36/09 माननीय किराया अधिकरण जोधपुर में प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्तमान में माननीय अधिकरण जोधपुर में विचाराधीन है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) राबाउमावि श्यामसदन को रामावि अल्पभाषा राजमहल के भवन में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवीनतम सुरक्षा प्रमाण पत्र विद्यालय भवन जर्जर होने के कारण जारी नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। अपितु राबाउमावि शाहपुरा जोधपुर भवन जर्जर होने के कारण इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को निकटतम एक किलोमीटर की परिधि में संचालित राबाउमावि जालौरीगेट में प्रवेश देने तथा उक्त विद्यालय राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भगतासनी सेक्टर 07 जोधपुर में निर्मित विद्यालय भवन में स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट-क

क्र. सं.	जिले का नाम	जोधपुर/जयपुर विकास प्राधिकरण/ यू.आई.टी.	भूमि विहीन विद्यालयों की संख्या		किराये के भवन में चल रहे विद्यालयों की संख्या		सम्बन्धित जि.शि.अ. द्वारा भूमि आबंटन हेतु जिला कलक्टर को लिखे गये पत्रों का विवरण/प्रकरण किस स्तर पर बकाया है का पूर्ण विवरण	वि.वि.
			राप्रावि	राउप्रावि	राप्रावि	राउप्रावि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जोधपुर	जोधपुर	44	6	15	14	1. 220/3.8.2006 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये। 2. 289/6.9.2006 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये।	जिला कलक्टर स्तर पर विचाराधीन
2	कोटा	कोटा	13	8	2	2	1. 219/8.9.2009 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये।	जिला कलक्टर स्तर पर विचाराधीन
3	उदयपुर	उदयपुर	20	10	8	10	1. 43/23.3.2006 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये। 2. 46/3.5.2006 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये। 3. 35/24.2.2009 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये। 4. 34/4.11.2009 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये।	जिला कलक्टर स्तर पर विचाराधीन

क्र. सं.	जिले का नाम	जोधपुर/जयपुर विकास प्राधिकरण/ यू.आई.टी.	भूमि विहीन विद्यालयों की संख्या		किराये के भवन में चल रहे विद्यालयों की संख्या		सम्बन्धित जि.शि.अ. द्वारा भूमि आबंटन हेतु जिला कलक्टर को लिखे गये पत्रों का विवरण/प्रकरण किस स्तर पर बकाया है का पूर्ण विवरण	वि.वि.
			राप्रावि	राउप्रावि	राप्रावि	राउप्रावि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	अजमेर	अजमेर	0	0	23	32	पत्र क्रमांक जिशिअ/प्राशि/अज/समा/निःशुल्क भूमि आबंटन/2009/9625-31 दि. 25.02.2009 एवं क्रमांक 4149 -50 दि. 05.09.2009 के द्वारा भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये।	जिला कलक्टर स्तर पर विचाराधीन
5	बीकानेर	बीकानेर	0	0	20	16	प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये।	भूमि विहीन विद्यालय नहीं
6	भरतपुर	भरतपुर	8	0	8	0	1. 4386/13.1120.09 भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाये गये।	जिला कलक्टर स्तर पर विचाराधीन
7	जयपुर	जयपुर	82	10	9	8	1. 146/19.2.2009 नगर निगम को पत्र लिखा गया। 2. 147/19.2.2009 जे.डी.ए. को भूमि आबंटन के प्रस्ताव भिजवाये।	नगर निगम जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर विचाराधीन

नोट : उपरोक्त सूची में सम्भाग मुख्यालय के विकास प्राधिकरण/यूआईटी परिक्षेत्र की विद्यालयों की संख्या ही दर्शाई गई है।

नदबई विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

375. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने और अब उक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नदबई में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 30 तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 176 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के संवर्गवार रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण का परिशिष्ट-क संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदौन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट-क

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद				
		I	II	III	शाशि II	शाशि III
1	राउमावि नदबई	3	5	0	0	0
2	राउमावि गादौली	4	3	0	0	0
3	राउमावि बरौलीछार	1	2	0	0	0
4	राउमावि भदीरा	2	1	2	0	0
5	राउमावि लखनपुर	2	2	0	0	0
6	राउमावि बछामदी	1	2	1	0	0
7	राबाउमावि नदबई	2	3	3	1	0
8	राउमावि झारकई	3	1	1	0	0

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद				
		I	II	III	शाशि II	शाशि III
9	राउमावि नाम	3	1	0	0	0
10	राउमावि मई	3	0	1	0	0
11	रामावि गगवाना	0	1	1	0	0
12	रामावि कबई	0	1	0	0	0
13	रामावि न्यौठा	0	1	0	0	0
14	रामावि अखैगड	0	2	1	0	0
15	रामावि पीगौरा	0	1	0	0	0
16	रामावि गागरौली	0	0	1	0	0
17	रामावि लालपुर	0	1	0	0	0
18	राउमावि खानुआ	1	1	1	0	0
19	राउमावि उच्चैन	3	3	2	0	0
20	राउमावि कुरका	2	3	1	0	0
21	राउमावि गहनोलीमोड	1	1	0	1	0
22	राबाउमावि उच्चैन	1	0	0	0	0
23	रामावि भैसा	0	1	1	0	0
24	राबामावि नेकपुर	0	0	1	0	0
25	रामावि सहना	0	0	1	0	0
26	रामावि ककरौआ	0	1	0	0	0
	योग	**32**	**37**	**18**	**2**	**0**

वर्ष 2009 में पदोन्नति से वंचित शिक्षक

376. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह जुलाई, 2009 में सरकार द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति एक माह में करने की घोषणा की गई थी? क्या इस घोषणा के अनुरूप समस्त पात्र शिक्षकों को पदोन्नति दी जा चुकी है? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब से पदोन्नति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में किसी भी पात्र शिक्षक की पदोन्नति अवशेष नहीं है? यदि पदोन्नति शेष है तो सरकार वंचित शिक्षकों की पदोन्नति कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जुलाई, 2009 में तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की वर्ष 2007-08 की डी.पी.सी. आयोजित करवाई जाकर 8024 अध्यापकों को पदोन्नति दी गई है। जिलेवार पदोन्नत अध्यापकों का संख्यात्मक विवरण का परिशिष्ट-''क'' संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की डी.पी.सी. करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	जिले का नाम	पदोन्नत अध्यापकों की संख्या
1.	चूरू	88
2.	हनुमानगढ़	84
3.	झुन्झुनूं	97
4.	बीकानेर	154
5.	श्रीगंगानगर	182
6.	उदयपुर	721
7.	राजसमन्द	603
8.	चित्तौड़गढ़	557

क्र.सं.	जिले का नाम	पदोन्नत अध्यापकों की संख्या
9.	डूंगरपुर	260
10.	बांसवाड़ा	443
11.	अजमेर	144
12.	भीलवाड़ा	152
13.	टोंक	73
14.	नागौर	199
15.	कोटा	148
16.	बून्दी	151
17.	झालावाड़	358
18.	बारां	188
19.	भरतपुर	276
20.	धौलपुर	99
21.	सवाई माधोपुर	116
22.	करौली	110
23.	जालौर	200
24.	सिरोही	132
25.	पाली	247
26.	बाड़मेर	303
27.	जैसलमेर	95
28.	जोधपुर	394
29.	जयपुर	577
30.	अलवर	352
31.	सीकर	406
32.	दौसा	115
	योग	**8024**

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग का जयपुर दौरा

377. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कार्मिक विभाग के आदेशानुसार किसी भी अधिकारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित) को एक माह में कितने दिन मुख्यालय पर रहना अनिवार्य है?

(2) माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत अधिकारियों को गत तीन वर्षों में वर्ष वार तथा अधिकारीवार जयपुर आवागमन के लिए जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अपना जयपुर प्रवास विभाग की मीटिंगों के लिए करते हैं? यदि हां, तो निदेशक के कार्य ग्रहण से अब तक जयपुर में की गई बैठकों का तारीखवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागाध्यक्ष/किसी भी अधिकारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित) के मुख्यालय पर कितने दिन उपस्थित रहने एवं नहीं रहने के सम्बन्ध में कोई स्थाई आदेश नहीं है।

(2) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का पद है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राजकीय यात्राओं हेतु पृथक से आदेश प्रसारित नहीं किये जाते हैं।

(3) जी नहीं। अपितु निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर तथा निदेशक, स्टेट आपन स्कूल का भी अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 11.03.2010 तक रहा है तथा दोनों ही पद विभागाध्यक्ष स्तर के हैं। अत: उक्त पदों के कर्तव्य निर्वहन हेतु जयपुर में ठहराव रहा है। वर्तमान निदेशक के जयपुर ठहराव के विवरण का परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

378. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में

(श्री राजकुमार रिणवां)

कितने विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कहां-कहां पर नये विद्यालय खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कितने विद्यालयों के नवीन भवन तथा किन-किन विद्यालयों के चारदीवारी का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 में कितने-कितने कहां-कहां पर नये विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं और कौन-कौन से विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत नहीं किया गया है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 20 राउप्रावि को मावि में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-''क'' संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कोई नवीन भवन का निर्माण नहीं हुआ है। निम्न विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण हुआ है, का विवरण परिशिष्ट-''ख'' संलग्न है।

(4) वर्ष 2010-11 में नये खोले जाने वाले व क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालयों के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पिलानी व सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुएं गहरा कराने की स्वीकृति

379. श्री सुन्दर लाल (पिलानी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुन्दर लाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ को डार्क जोन घोषित किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों को कुआं गहरा करवाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ को अतिदोहित (ओवर एक्सप्लोयटेड-डार्क जोन) क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया।

(2) जी नहीं। केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा झुन्झुनूं जिले की पंचायत समिति बुहाना एवं चिड़ावा को दिनांक 05-12-2005 तथा पंचायत समिति सूरजगढ़ को दिनांक 02-12-2006 को अधिसूचित क्षेत्र (Notified Area) घोषित कर दिया गया। इन पंचायत समितियों में भू-जल दोहन, भू-जल विकास, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध हेतु जिला कलक्टर, झुन्झुंनू की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सलाहकार कमेटी द्वारा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जाती है, जिसके अनुसार इन क्षेत्रों में बिना विशेष पूर्वानुमति के कोई व्यक्ति/संगठन/अभिकरण (सरकारी/गैर सरकारी) खुदाई प्रक्रिया, निर्माण, किसी नई संरचना एवं योजना/भू जल विकास परियोजना की स्थापना नहीं कर सकेगा।

सांगानेर पंचायत समिति (जयपुर) के आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यरत कर्मियों का बकाया भुगतान

380. श्री पेमाराम (धोद) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं और उक्त केन्द्रों में कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनी के पद पर कौन-कौन कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों के किन-किन कर्मियों का मानदेय कब से बकाया है? केन्द्र व कर्मीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मोहनपुरा (सांगानेर) के

(श्री पेमाराम)

ग्राम भाटावाला के आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यरत सहयोगिनी को स्थानीय सरपंच व महिला पर्यवेक्षक द्वारा मानदेय प्रमाणित किये जाने के बावजूद माह जुलाई, 2009 से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अल्प आय वर्ग की महिला को मानदेय का भुगतान करने व उक्त कर्मी को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर में वर्तमान में स्वीकृत 181 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध इनमें से 6 केन्द्र हाल ही में स्वीकृत किये गये हैं। सभी कार्यरत 175 केन्द्रों पर कार्यकर्ता सहायिका एवं सहयोगिनी के पद भरे हुए हैं। पद भरे हुए की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को माह जनवरी, 2010 तक मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। आंगनबाड़ी केन्द्र भाटावाला पर कार्यरत सहयोगिनी का माह जुलाई, 2009 से फरवरी, 2010 का मानदेय भुगतान बकाया है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्र भाटावाला पर कार्यरत सहयोगिनी श्रीमती सावित्री सैनी द्वारा विभागीय प्रक्रियाओं की पालना नहीं करने तथा परियोजना अधिकारी द्वारा जारी स्पष्टीकरण का यथोचित प्रत्युत्तर यथा समय प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मानदेय रोका गया था। वर्तमान में मानदेय बिल तैयार कर कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्र भाटावाला पर कार्यरत श्रीमती सावित्री सैनी को मानदेय भुगतान का कार्य प्रक्रियाधीन है। सम्बन्धित कर्मियों को मानदेय भुगतान समय पर करने की हिदायत जारी कर दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बामनवास विधान सभा क्षेत्र हेतु निगम बस सेवा

381. श्री नवल किशोर (बामनवास) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में एक भी निगम बस संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र

(श्री नवल किशोर)

बामनवास में निगम बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्तमान में निम्नलिखित मार्गों पर निगम बसों का संचालन किया जा रहा है:-

1	जयपुर-गंगापुर-करौली	3 परिचक्र
2	जयपुर-गंगापुर-सपोटरा	2 परिचक्र
3	हिण्डौन-बामनवास	2 परिचक्र
4	बामनवास-दिल्ली वाया गंगापुर	2 परिचक्र

उपरोक्त मार्गों पर संचालित निगम बसों से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के निम्न ग्रामवासियों को बस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है:-

1. बामनवास
2. खेड़ली
3. पिपलई
4. चितौड़भटटा
5. बामनवास मोड़
6. पिपलई मोड़

इसके अतिरिक्त माह मार्च, 2008 से मई, 2008 तक, जयपुर से बामनवास 2 वाहनें संचालित की गई थीं किन्तु पंचम अध्याय मार्ग होने के कारण निजी वाहनों के बहुतायत में संचालित होने से निगम वाहनों को पर्याप्त यात्रीभार प्राप्त नहीं होने तथा अर्जित आय परिवर्तित लागत से भी कम प्राप्त होने के कारण संचालन बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल वाहन संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले में बांधों/एनीकटों के निर्माण की स्वीकृति

382. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में प्रतापगढ़ जिले के कौन-कौन से व कितने बांधों/एनीकट के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? ग्रामवार, पंचायतवार, राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) वर्तमान में विभाग के पास जिले के कितने व कौन-कौन से एनीकटों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है तथा विचाराधीन प्रस्ताव किस-किस के माध्यम से प्राप्त हुये? सरकार द्वारा इन विचाराधीन प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले में वर्ष 2008-09 में स्वीकृत किये गये एनीकटों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विभाग के पास प्रतापगढ़ जिले के 8 एनीकटों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। एनीकट निर्माण की स्वीकृतियों के सम्बन्ध में स्थिति का विवरण परिशिष्ट–ब में दर्शाया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी भीम एवं देवगढ़ की भूमि पर अतिक्रमण

383. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम एवं देवगढ़ में कृषि उपज मण्डी कब व क्यों एवं कितनी जमीन पर बनाई गई तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों मण्डियों पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मण्डियों का पुन: जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मण्डियों को अन्य परियोजनार्थ राजस्व विभाग को स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत गौण मण्डी यार्ड भीम का निर्माण वर्ष 1989-90 में कुल 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर करवाया गया एवं गौण मण्डी यार्ड देवगढ़ का निर्माण वर्ष 1988-89 में कुल 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर करवाया गया था।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

गौण मण्डी यार्ड भीम एवं देवगढ़ का निर्माण मण्डी क्षेत्र के कृषकों एवं व्यापारियों को कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था।

वर्तमान में गौण मण्डी यार्ड भीम में निर्मित कार्यालय भवन, नीलामी चबूतरा, प्याऊ, मूत्रालय, प्रवेश द्वारा आदि में आंशिक रूप से टूट-फूट होने से मरम्मत की आवश्यकता है तथा चारदीवारी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है। गौण मण्डी यार्ड देवगढ़ में निर्मित भवनों की स्थिति वर्तमान में ठीक है।

(2) जी नहीं।

(3) गौण मण्डी यार्ड देवगढ़ में निर्मित संरचनाओं की स्थिति वर्तमान में ठीक होने से यहां किसी प्रकार के जीर्णोद्धार अथवा मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। गौण मण्डी यार्ड भीम में कार्यालय भवन, नीलामी चबूतरा, प्याऊ इत्यादि में आंशिक टूट-फूट होने से मरम्मत की आवश्यकता है तथा अधूरी निर्मित चारदीवारी का पूर्ण निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता है, परन्तु वर्तमान में मण्डी समिति के पास पर्याप्त बचत राशि उपलब्ध नहीं होने व वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मरम्मत का कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है। मरम्मत कराने का कार्य मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने हेतु चर्चा के लिए।
2. विभाग द्वारा विकलांग, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन योजना का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम नाथडाऊ, शेरगढ़ में राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास खुलवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

4. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में विभिन्न योजनाओं के तहत गत 6 वर्षों में लाभान्वित किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
5. पंचायत समिति की बैठकों में समाज कल्याण व महिला बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

6. बाड़मेर में जिला उप निदेशक महिला एवं बाल कल्याण विभाग के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

7. विभाग द्वारा राज्य में विकलांग, वृद्धा, विधवा पेंशन नियमों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

8. विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिन व साथिन का मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना मुख्यालय पर महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का भवन निर्माण कराने व स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

10. पाली शहर में भूमिहीन गाडोलिया लौहारों को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

11. समाज कल्याण की योजनाओं में व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाओं में आवेदन के एक सप्ताह में भुगतान करने के लिए राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में प्रस्तावित 250 क्षमता के मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

13. सूरसागर क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में अनुसूचित जाति, जनजाति आबादी के मद्देनजर समाज कल्याण छात्रावास की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

15. उदयपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

17. महिलाओं के उत्थान में आ रही सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं महिलाओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

18. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बेसहारा बालक-बालिकाओं को भी ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र पेश करने पर पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभ दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

19. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

20. राज्य में विकलांग कलयाण के लिए राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वाहन भत्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

21. श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कामकाजी, नौकरी पेशा युवतियों एवं महिलाओं हेतु राजकीय वर्किंग वूमन्स होस्टल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

22. महिला बाल पोषाहार विभाग में CDPO को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

23. ग्राम पंचायतों में महिला कार्यक्रम निजी भवन में न चलाकर सरकारी भवन में चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24. कठूमर जिला अलवर में CDPO कार्यालय में गाड़ी की व्यवस्था करने एवं CDPO कार्यालय कठूमर को निजी भवन से हटाकर सरकारी कार्यालय पंचायत समिति में चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

25. पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर में ग्रामीण पोषाहार को महिला एवं बच्चों को नहीं बांटकर ब्लैक में बेचने एवं मेडिकल किट आम जनता के उपयोग में नहीं लेकर निजी उपयोग में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में महिला बाल पोषाहार विभाग में कार्यकर्ता सहायिका एवं आशा/सहयोगिनी के पदों में अनुसूचित जाति व जनजाति के बैकलाग को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

27. महिला एवं बाल कल्याण की वर्तमान में चल रही योजना की कमियों को दूर करके सफल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

28. जिला झुंझुनूं के सोहली गांव की यदवंशी कालेज में अजा/अजजा विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के चैक देने से पूर्व संस्था निदेशक/प्रधान द्वारा नकद राशि मांगने से छात्रों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री सुन्दर लाल)

29. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के अनुसूचित जाति के छात्रावासों के संधारण हेतु राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31. प्रदेश में विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश के बंधक मजदूरों को छुटकारा दिलाने एवं उन्हें आर्थिक मदद देकर स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर सम्बल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

33. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

34. सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने वाली लड़कियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

35. वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगों को बिना शर्त पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगों की पेंशन राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

37. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी मुख्यालय में वृद्धावस्था आश्रम हेतु भूमि आबंटन करने एवं वृद्धावस्था आश्रम का भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. राजकीय छात्रावासों में महंगाई के मद्देनजर प्रति छात्र राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

41. तहसील मुख्यालय कोटकासिम में अनुसूचित जाति के छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

42. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के तहसील भोपालगढ़ के ग्राम में बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

43. विभाग द्वारा बाल मजदूरी को नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

44. महिला जनप्रतिनिधियों के साथ राजकीय बैठकों में रिश्तेदारों के आने पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

45. आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

46. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

47. बायतू में समाज कल्याण छात्रावास के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

48. नौसर (सिणधरी) गिड़ा (बायतू) नवोड़ाबेरा (बालोतरा) में आवासीय बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

49. अलवर जिले में सामाजिक सुरक्षा व महिला बाल विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

50. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु बनी योजनाओं के संचालन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक सुन्दर, प्रभावी व साफ-सुथरा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु संचालित योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी बनाने तथा शहरी क्षेत्रों से अधिक

(श्रीमती अनिता भदेल)

धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. 750 रुपये प्रतिमाह की दर से देय वृद्धावस्था पेंशन की अधिकतम आयु 75 वर्ष से कम कर 65 वर्ष किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. अजमेर में विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्यरत बाल श्रमिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने एवं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था तथा बाल श्रम कानून के तहत ऐसी फर्मों तथा मालिकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दिये जाने वाले पोषाहार हेतु स्वीकृत 5 रुपये की राशि तथा 3 से 6 वर्ष के बालकों को दिये जाने वाले पोषाहार राशि रुपये 4 को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी :

55. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विभिन्न गांव ढाणियों व नगरपालिका, आदिवासी व वन क्षेत्रों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सरीपीपली, पाल मधुरा तालाब, बड़ी सादड़ी, रतीचन्द्रजी का खेड़ा, रावतपुरा, मंगलवाड़, डूंगला, चिकाड़ा में जोलार, ग्यारसपुर, आवरीमाता, बोहेड़ा, थड़ा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में संचालित समाज कल्याण छात्रावासों में अध्यापन की आधुनिक सुविधा हेतु प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, सीडी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

58. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन, निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में गत पांच वर्षों से अब तक पायी गई अनियमितताओं की जांच, रिक्त पदों को नहीं भरे

(श्री रूपाराम डूडी)

जाने तथा पोषाहार वितरण में अनियमितता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के समाज कल्याण छात्रावासों में रिक्त पड़े पदों, अपर्याप्त सुविधाओं, भवन विहीन छात्रावासों के चलते यहां रह रहे छात्र-छात्राओं को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के गांव आकोदा में छात्रों के लिए नवीन छात्रावास खोले जाने तथा मौलासर में आवासीय छात्रावास में 50 छात्रों के रहने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

62. महिला कल्याण हेतु शिक्षा को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

63. विधवा महिला पेंशन के नियमों का सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

64. आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में हो रही कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. मन्द बुद्धि बालकों के पुनर्वास पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. अभी तक सभी बच्चों को आंगनबाड़ी से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नगराज (धरियावद) :

67. महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत ग्राम सेविकाओं को लम्बित चयनित वेतनमान शीघ्र दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

68. राज्य में 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धावस्था पेंशनर्स को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

69. विधवा, वृद्ध एवं विकलांग की पेंशन हेतु व्यस्क पुत्र/परिजन नहीं होने

(श्री ओम बिरला)

सम्बन्धी शर्त को विलोपित किये जाने तथा पेंशन नियमों में पात्रता के लिए नियमों का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

70. राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पिछली शैक्षिक वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

71. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों का भत्ता बढ़ाकर दुगना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

72. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

73. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में से ही सुपरवाइजर्स की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

74. राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ हो रहे सामाजिक अत्याचार से पीड़ित लोगों को सहायता समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

75. पाली जिले की कानूजा पंचायत में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. बाल विकास परियोजना तालेड़ा जिला बून्दी की स्वयंसिद्धा योजना के क्रियान्वयन में पायी गई अनियमिततओं की जांच एवं एक ही संवेदक से की गई खरीद से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में रिक्त पदों, स्वयं के भवन नहीं होने तथा पोषाहार वितरण में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

78. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में चिन्हित ढाणियों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

79. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विभाग में व्याप्त घोर लापरवाही एवं धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री सुखराम)

80. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में अनुसूचित जाति के लिए आबंटित बजट का सम्पूर्ण उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में महिला एवं बाल विकास की योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

83. धौलपुर जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब बच्चों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को विशेष लाभ दिलवाने के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

84. एम.एस.सी. (पूर्वार्द्ध) पर्यावरण अध्ययन के अनुसूचित जनजाति के वर्ष 2008-09 के उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देने में विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही पर चर्चा के लिए।

85. देवली (टौंक) में महाविद्यालय स्तर के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास प्रारम्भ किये जाने में बरती जा रही सरकारी उपेक्षा एवं उदासीनता पर चर्चा के लिए।

86. टौंक जिले की तहसील क्षेत्र उनियारा एवं देवली के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिए।

87. टौंक एवं बून्दी जिले में राजकीय औल्ड ऐज होम भवन का निर्माण कराने में की जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

88. बून्दी एवं टौंक जिले में विभिन्न मादक द्रव्यों से बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर रोक हेतु विभाग द्वारा प्रभावी रचनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

89. वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगों की पेंशन में वृद्धि, वृद्धावस्था के साथ पुत्र की अनिवार्यता को हटाने तथा पेंशन का समय पर भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. कोटा सम्भाग के समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त छात्रावासों में सुख सुविधायें बढ़ाने तथा स्टाफ की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पूर्ति करने व नये छात्रावासों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91. प्रदेश में भिक्षा मांगने वाले बच्चों के रख-रखाव व उनको सामाजिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

92. प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित सामूहिक विवाह सम्मेलनों में मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि कर उन्हें समय पर राशि उपलब्ध करवाना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक संस्थाओं को नियमों में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों की पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार करने व गुणवत्ता में वृद्धि कर उनके रूके हुए धन को उपलब्ध करवाने तथा क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

94. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में महिला बाल विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के गुर्जरों को देवनारायण विकास बोर्ड के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

96. बांसवाड़ा पी.जी. कालेज के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को वर्ष 2008-09 की छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत छात्रावास अभी तक न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पेमाराम (धोद) :

98. अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

99. अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाकर दुगनी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए आवश्यक उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री पेमाराम)

101. अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति प्रतिमाह दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. धोद में अनुसूचित जाति के छात्रावास का निर्माण तुरन्त शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

103. प्रतापगढ़ जिले में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण करने तथा रिक्त पड़े केन्द्रों पर कामगार लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

104. 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिये जाने वाले गरम पोषाहार उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

105. जिला प्रतापगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र के 150 की जनसंख्या तक मजरों में आंगनबाड़ी अथवा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को तत्काल चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

106. अनुसूचित क्षेत्र में चलाई जा रही आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107. जिला प्रतापगढ़ में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बाल विकास परियोजनाओं के अधीन पंजीकृत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार वितरण करने में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

108. विधान सभा क्षेत्र मकराना में आंगनबाड़ी कार्यालयों व केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) :

109. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

110. विधवा व वृद्धावस्था पेंशन में बालिग बच्चों का राइडर समाप्त करने तथा एड्स पीड़ित व्यक्तियों के संगठन को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

111. जहाजपुर क्षेत्र में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. जहाजपुर एवं कोटड़ी में बाल विकास परियोजनाओं के कार्यालय भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत समिति में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

114. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

115. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीयनगर) :

116. वर्तमान में बदल रहे सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर वृद्धा आश्रम अधिक संख्या में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधवा एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु विधवा आश्रम खोले जाने एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी किये जाने एवं इनमें मिलने वाले आहार के लिए बजट राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119. अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावासों के लिए बजट राशि बढ़ाने एवं नवीन बालिका छात्रावासों की संख्या में बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विमंदितों के लिए पृथक से छात्रावास खोले जाने एवं इनके अध्ययन के लिए आधुनिकतम विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

121. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या-7 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-7 मुख्य शीर्षक निर्वाचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

1. राज्य में निर्वाचन डयूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

2. विधान सभा क्षेत्र सोजत में विश्नोई की ढाणी, भंवर भाटा, पांचवां खुर्द, नापावास, चमण्डियां, पाचुण्डा खुर्द में निर्वाचन बूथ खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

3. विधान सभा क्षेत्र भीम के दूरदराज एवं दुर्गम पहाड़ियों को ध्यान में रखते हुये कुकड़ा ग्राम पंचायत व नरदास का गुढ़ा पंचायतों में पोलिंग स्टेशनों को नजदीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

4. राजसमन्द जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन करने पर प्राप्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

5. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में निर्वाचन नामावली तैयार करते समय अनदेखी कर मतदाताओं के नाम हटाने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।
6. मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी फर्जी मतदान किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।
7. लोक सभा चुनाव एवं विधान सभा चुनाव साथ नहीं करवाने से होने वाले अनावश्यक व्यय के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

8. विधान सभा, लोक सभा, पंचायत चुनाव व नगरपालिका चुनाव में एक समान मतदाता सूची बनाएं जाने के लिये चर्चा के लिये।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

9. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कटवाने की समय तिथि चुनावों की लाटरी निकालने से पूर्व तक रखने एवं लाटरी समय पर निकलवाने के लिये चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

10. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राणावास, नरसिंहपुरा देवली (आ.) एवं धामली में कार्मिकों द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने एवं नाम पुन: जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

11. राज्य के प्रत्येक मतदाता को एक मल्टीपल पहचान कार्ड दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. चुनाव लड़ने वाले सभी जनप्रतिनिधि को अपनी सम्पत्ति की घोषणा प्रतिवर्ष करना अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. प्रदेश एवं देश में सभी स्तर के चुनाव एक ही दिन कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. सभी चुनाव के लिये एक ही मतदाता सूची बनाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. प्रधान एवं जिला प्रमुख का चुनाव सीधा जनता से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

16. पंचायत राज एवं नगर निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दल-बदल कानून के दायरे में लेने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. पंचायत राज चुनाव में जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व पंच के चुनाव एक ही तारीख में करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा, लोक सभा, पंचायत एवं स्वायत्त शासन तीनों की निर्वाचन नामावली एक ही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा और लोक सभा के चुनाव में प्रिन्ट एवं विजिवल मीडिया में विज्ञापनों के द्वारा लाखों रुपये एवं धन बल के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

20. धौलपुर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के इशारे पर गलत तरीके से मतदान सूची में जोड़े गए हजारों नामों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
21. धौलपुर जिले के पंचायत चुनावों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
22. धौलपुर जिले में पंचायत चुनावों में प्रशासनिक अधिकारियों की शह पर हुई धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
23. धौलपुर जिले के पंचायत चुनावों में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त बजट का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये गये दुरुपयोग/धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

24. टोंक एवं बून्दी जिले में मतदाताओं को स्पष्ट एवं अद्यतन तथा अपेक्षित संख्या में फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।
25. टोंक एवं बून्दी जिले में निर्वाचक नामावलियों में रही त्रुटियों के निराकरण एवं नए नाम जोड़ने हेतु सम्यक पुनरीक्षण कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. टोंक एवं बून्दी जिले के निर्वाचन कार्यालयों में कार्य के अनुपात में कार्मिकों की कमी के चलते प्रतिनियुक्ति पर लगे अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को हटाने एवं निर्वाचन अनुभाग में आवश्यकतानुसार पद सृजित करने में बरती जा रही सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये।
27. प्रदेश में किराये पर/अधिग्रहित कर निर्वाचन कार्यों हेतु उपयोग में लिये जाने वाले निजी वाहनों को बाजार दर के अनुरूप किराया/भत्ते का भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
28. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा (टोंक) के कई मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त छाया, पानी एवं रैम्प आदि की सुविधा विकसित करने में बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

29. पंचायत चुनावों में कोटपूतली उप प्रधान के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी द्वारा खुला मतदान करवाकर गुप्त मतदान नियम का खुला उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

30. जयपुर जिले में पंचायत चुनावों में जिला परिषद/पंचायत समिति की मतगणना को लम्बा खींचकर देर रात धांधली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

31. लोक सभा, विधान सभा व पंचायतीराज की निर्वाचन मतदाता सूची एक समान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. निर्वाचन में धनबल व शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व पंच के चुनाव एक ही तिथि में कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

34. निर्वाचन में सरकारी विद्यालय भवन होते हुये भी दूसरे गांव में कम संख्या का बहाना बनाकर दूसरी पंचायत में मतदान हेतु भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. तालबबिहाजर ग्राम पंचायत के मतदाताओं को राजनैतिक लाभ के लिये दूसरी पंचायत के गैर राजस्व गांव के मतदान केन्द्रों पर भेजने से व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. ग्राम पंचायत पालड़ी के मतदाताओं को आम चुनाव में दूसरी ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

37. जयपुर में मतदान केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी किये जाने एवं मतदान केन्द्रों का पुर्नगठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. चुनाव कार्यों के लिये अधिग्रहीत वाहनों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने वाले वाहनों के चालकों एवं परिचालकों के लिये मतदान की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री) का अनुदान की मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निराश्रित, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध एवं निःशक्तों के कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जैसे :- शैक्षणिक विकास के अन्तर्गत विद्यार्थियों हेतु छात्रावास सुविधा, छात्रवृति सुविधाएं एवं कुशाग्र बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु अनुप्रति योजना। सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धजनों, विधवाओं एवं निःशक्तजनों को पेंशन (केन्द्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाएं) समस्त बी.पी.एल. परिवारों का बीमा (जनश्री बीमा योजना) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्गों के आर्थिक उन्नयन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

समाज के इन गरीब एवं उपेक्षित वर्गों के कल्याण हेतु सरकार कृत-संकल्प है और इनके विकास के लिये अधिकाधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। इनके विकास हेतु वर्ष 2003-04 में रुपये 266 करोड़ 61 लाख राशि व्यय की गई थी, जबकि वर्तमान में (वर्ष 2009-10) के अन्तर्गत रुपये 1052 करोड़ 48 लाख से भी अधिक राशि का संशोधित प्रावधान रखा गया है, जो लगभग 3 गुना है।

छात्रावास योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यालय स्तर के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिये विद्यालय स्तरीय 704 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। छात्रावास में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी, शिक्षण-प्रशिक्षण, खेलकूद एवं कठिन विषयों हेतु विशेष कोचिंग, कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु 7 छात्रावास

भी संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों का लाभ 26 हजार से भी अधिक छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है।

राज्य सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि किराये के भवनों के बजाय राजकीय भवनों में छात्रावास संचालन कराया जाये। इस हेतु वर्तमान में 129 छात्रावासों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जूते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली, पानी, आदि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मासिक दरों में वृद्धि की गई है। जिसमें वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत रुपये 450 से बढ़ाकर रुपये 675 किये गये थे, उसके पश्चात् वर्ष 2006-07 से रुपये 675 से बढ़ाकर रुपये 725 किये गये एवं वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत उक्त दरों को रुपये 725 से बढ़ाकर रुपये 1,000/- किया गया है, जो मैस भत्तों में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है।

राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन कर मरम्मत कार्य हेतु 10,000 रुपये के स्थान पर 25,000 हजार रुपये कर उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई है।

छात्रावासों की गुणवत्ता में सुधार

राजकीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों में बिस्तर, बर्तन, तख्त/पलंग आदि क्रय करने तथा प्रतिस्थापित करने हेतु वर्ष 2009-10 में 65.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों में उपयोग ली जाने वाली वस्तुओं की निर्धारित न्यूनतम उपयोग में लेने की अवधि में वर्ष 2009-10 से शिथिलता प्रदान की है।

आगामी वर्ष में 41 शहरी छात्रावासों की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 किया जाना तथा 11 तहसील मुख्यालयों पर नवीन छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर में एक छात्रावास की स्थापना आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

छात्रवृत्ति योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं से विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को अपना अध्ययन पूर्ण करने में वित्तीय मदद मिलती है। पूर्व-मैट्रिक स्तर की छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से एवं उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार 10 जमा 2 योजना, कालेज स्तर एवं उससे उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों में यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन छात्र-छात्राओं को दी जाती रही है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति के लिये एक लाख रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिये एक लाख आठ हजार रूपये व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रुपये 44 हजार 5 सौ तक हो।

इस योजना में नान रिफण्डेबल अनिवार्य फीस एवं अनुरक्षण भत्ता का भुगतान छात्रवृत्ति में दिया जाता है। योजनान्तर्गत राज्य वचनबद्धता राशि तक राज्य सरकार तथा राज्य वचनबद्धता राशि से ऊपर का समस्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

राज्य के मान्यता प्राप्त निजी, स्वायत्तशासी तथा राज्य से बाहर के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिला कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है तथा राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वयं शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है तथा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

राज्य में संचालित डिग्री स्तर के मेडीकल, इंजीनियरिंग, कृषि, वेटरिनरी एवं पोलीटेक्निक कालेज के अलावा पोस्ट ग्रेज्युएट स्तर के लॉ, सी.ए, एम.बी.ए., एवं बायो साइन्स कालेजों में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु इन कालेजों की लाइब्रेरी के लिए इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकें क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि महंगी पुस्तकें इन वर्गों के विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध हो सकें।

अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति

भारत सरकार की पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है तथा योजनान्तर्गत आय सीमा निर्धारित नहीं है। योजनान्तर्गत प्रति वर्ष 65 से 70 हजार के मध्य विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के पूर्व-मैट्रिक छात्र-छात्राओं, जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकर दाता न हों, को शिक्षा विभाग, बीकानेर के माध्यम से देय है। इस योजना का बजट वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्यवचनबद्धता राशि तक राज्य सरकार द्वारा एवं राज्य वचनबद्धता राशि से ऊपर का व्यय राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के मध्य 50-50 प्रतिशत के अनुपात में वहन किया जाता है।

छात्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रतिवर्ष तदर्थ सहायता राशि रुपये 500 प्रति छात्र स्वीकृत किये जाते हैं। यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में इस वर्ष किए गए प्रक्रियात्मक सुधार

वर्ष 2009-10 में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के प्रकरण तथा छात्रवृति वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, अभाव अभियोगों को न्यूनतम करने व वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के दृष्टिगत निम्नानुसार सुधारात्मक प्रयास किये गये हैं :-

उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों को वर्ष 2009-10 से संशोधित आवेदन पत्र तथा दिशा-निर्देश जारी किये गये। वर्ष 2009-10 से छात्रवृत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

सभी जिलाधिकारियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में लक्षित समूह, शिक्षण संस्थानों एवं जिला कार्यालयों के मध्य सम्प्रेषण के अभाव को कम करने हेतु तहसील स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने के निर्देश दिये गये हैं।

निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन के निर्देश जारी किये गये हैं तथा भौतिक सत्यापन के पश्चात् सही पायी गई संस्थाओं के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति देने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली फीस के पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये हैं। इससे सभी जिलों में एक समान फीस का पुनर्भरण हो सकेगा।

छात्र हित को देखते हुये उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2010 की गई है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिये पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप योजना के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग, गुर्जर, बंजारा, गाड़िया-लुहार एवं रेबारी समुदाय के विद्यार्थियों के लिये भी पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना का संचालन आगामी वर्ष से किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं

मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनाः- यह योजना प्रोफेशनल एवं टेक्निकल शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि वहन की जाती है। वर्ष 2009-10 के लिए 956 विद्यार्थियों के लिए रुपये 241.54 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं, जिन्हें जिलाधिकारियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः- यह योजना कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि वहन की जाती है। वर्ष 2009-10 के लिए 8,144 विद्यार्थियों के लिए रुपये 409.61 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं, जिन्हें जिलाधिकारियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः- इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु अनुप्रति योजनाएं

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों हेतु रुपये 1.00 लाख तक प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) में प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों हेतु रुपये 45 हजार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिये अनुप्रति योजना के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग, गुर्जर, बंजारा, गाड़िया-लुहार एवं रेबारी समुदाय के विद्यार्थियों के लिये भी अनुप्रति योजना का संचालन आगामी वर्ष से प्रस्तावित किया गया है।

संशोधित अनुप्रति योजना संचालन नियम, 2008 :- राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य छात्र-छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं यथा आई.आई.टी, आई.आई.एम., एन.डी.ए. आदि में अध्ययन हेतु प्रवेशोपरान्त रुपये 40 हजार से 50 हजार तक प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अनुप्रति विस्तार योजना संचालन नियम, 2008 :- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) के 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं द्वारा राजकीय मेडीकल/इंजीनियरिंग कालेज में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने के पश्चात् रुपये 10 हजार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

आवासीय विद्यालय योजना

राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को एक अच्छे एवं स्वस्थ वातावरण में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा KfW जर्मनी के वित्तीय सहयोग से 10 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है।

वर्तमान में विभाग द्वारा राजस्थान में कुल 14 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 10 विद्यालय KfW जर्मनी के आर्थिक सहयोग से एवं 4 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अपने आयोजना मद से निर्मित हैं।

14 आवासीय विद्यालयों में से 2 आवासीय विद्यालय विशेष वर्गों के लिए निम्नानुसार हैं :-

(i) हरियाली (जालौर)-निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय।

(ii) मण्डाना (कोटा)-भिक्षावृत्ति व अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय। चालू सत्र में विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक 120 विद्यार्थी क्षमता (प्रति कक्षा 40 छात्र) से संचालित है। आगामी शैक्षिक सत्रों में विद्यालय को प्रति वर्ष अगली उच्च कक्षा में क्रमोन्नत करते हुए सत्र 2011-12 में कक्षा-10 तक क्रमोन्नत कर विद्यार्थी क्षमता 200 की जानी प्रस्तावित है । वर्तमान में विद्यालय छात्रावास सुविधा मात्र 102 छात्रों के लिए है, जिसका विस्तार करने हेतु अगले वित्त वर्ष में आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है ।

निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु 2 और आवासीय विद्यालय भवन क्रमशः सागवाड़ा (डूंगरपुर) तथा झालावाड़ में निर्माणाधीन हैं।

उक्त विद्यालयों में 7 बालिका एवं 7 बालक आवासीय विद्यालय है।

सभी विद्यालयों में चालू सत्र अन्तर्गत कुल 5339 बालक/बालिकाएं लाभान्वित हो रहे हैं।

इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शिक्षा, आवास, भोजन, स्कूल ड्रेस, पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री आदि का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

विद्यालयों में प्रवेश-पूर्व-योग्यता परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।

इन विद्यालयों में समस्त स्टाफ शिक्षा विभाग (राजस्थान सरकार) से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

शैक्षणिक सत्र 2008-09 के दौरान सभी विद्यालयों का औसत परीक्षा परिणाम 91.64% रहा है तथा बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 का परीक्षा परिणाम क्रमश: 88.61% व 98.69% रहा है जो राज्य के अन्य विद्यालयों के परीक्षा परिणामों की तुलना में तकरीबन 15% अधिक है।

राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों के संचालन हेतु चालू वित्त वर्ष में 13 करोड़ से भी अधिक राशि का बजट प्रावधान किया गया है ।

समाज के कमजोर तथा पिछडे वर्गों का आर्थिक विकास

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं विकंलागों के कल्याणार्थ विभाग के अधीन राज्य में तीन निगम स्थापित किये हुऐ हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 22 हजार से अधिक लोगों को 18 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है। उक्त निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगम योजनाओं के अन्तर्गत कम ब्याज दर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं सफाई कर्मचारियों को लघु एवं मध्यम ऋण स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही तकनीकी एवं उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड वर्ष 2000 से संचालित है। निगम के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को स्वयं के व्यवसाय हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत रुपये 12.00 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। निगम द्वारा अब तक 4 हजार 3 सौ से अधिक व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं।

राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को व्यवसायिक गतिविधियों एवं रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये दिये जा रहे ऋण की योजनाओं में ब्याज दर पर 2 प्रतिशत की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम का गठन किया गया। निगम का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिख, इसाई बौद्ध एवं पारसी समुदाय के गरीब व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं कार्य दक्षता उन्नयन हेतु 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर कृषि, तकनीकी, व्यवसायिक, हस्तकला एवं यातायात क्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाये जाते है। वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत राशि रुपये 2 करोड़ 50 लाख के ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को व्यवसायिक गतिविधियों एवं रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये दिये जा रहे ऋण की योजनाओं में ब्याज दर पर 2 प्रतिशत की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्रों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

निगम द्वारा स्थापना से अब तक 2,114 व्यक्तियों को रुपये 997.08 लाख के ऋण उपलब्ध करवाये जा चुके हैं जिनमें 1,894 पुरूष लाभार्थियों को रुपये 913.09 लाख एवं 220 महिला लाभार्थियों को रुपये 83.99 लाख के ऋण उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर किसी अन्य व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, द्वारा किये गये अत्याचारों के प्रति राज्य सरकार पूर्ण रूप से सजग है। दिनांक 16 फरवरी

2010 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन कर निर्देश दिये गये कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार/उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में त्वरित कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित पीड़ित पक्ष को नियमानुसार तत्काल सहायता दी जाये।

वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे पीड़ित 1,409 व्यक्तियों को रुपये 2 करोड़ 68 लाख 35 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी। चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत 1,225 व्यक्तियों को रुपये 2 करोड़ 16 लाख 25 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी है।

टेलीफोन हैल्प लाइन की स्थापना

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रकरणों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु पुलिस मुख्यालय, जयपुर में राज्य स्तरीय हैल्प-लाइन हेतु टोल फ्री टेलीफोन संख्या 18001806025 दिनांक 15 जनवरी, 2010 से स्थापित किया गया है।

अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु पालनहार योजना

राज्य में अनाथ बालक-बालिकाओं के लालन-पालन की व्यवस्था संस्थागत न की जाकर परिवार के भीतर ही बालक-बालिका के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के उद्देश्य से इन बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

योजना का शुभारम्भ अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए किया गया। योजना को मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना में सभी जातियों के अनाथ बच्चों के अलावा निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों को भी इस योजना के दायरे में लिया गया है। माह जनवरी, 2010 से विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान को भी अनाथ बच्चों की भांति लाभान्वित करने के लिए नियमों में प्रावधान किया गया है।

इस योजना में इन अनाथ बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाले व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रुपये 1 लाख 20 हजार से अधिक नहीं है, को "पालनहार" बनाया जाकर 15 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका के लालन-पालन के लिए 5 वर्ष तक की आयु तक रुपये 500 प्रतिमाह, 5 वर्ष की आयु के बाद नियमित अध्ययनरत बालक-बालिका हेतु रुपये 675 प्रतिमाह मासिक अनुदान तथा वस्त्र, जूते, स्वेटर आदि हेतु रुपये 2 हजार अतिरिक्त वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के तहत अनाथ बालक-बालिका को दो वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी व छह वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य है।

योजना के तहत निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक संतान के लिए मासिक अनुदान दिया जाता है।

योजना के प्रारम्भिक वर्ष में लाभान्वितों की संख्या 368 थी, जो माह फरवरी, 2010 की समाप्ति तक 30 हजार को पार कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजनान्तर्गत रुपये 22 करोड़ का बजट प्रावधान है।

आगामी वित्तीय वर्ष से कुष्ठ रोग तथा एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों को भी पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित करना प्रस्तावित किया गया है।

बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान "सहयोग" योजना

योजना के अन्तर्गत पूर्व में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष से 20 वर्ष तक की पुत्री के विवाह पर राशि रुपये 5 हजार की सहायता तथा समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की 21 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर राशि रुपये 10 हजार की सहायता प्रदान की जा रही थी।

वर्तमान सरकार द्वारा योजना का विस्तार करते हुए समस्त बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर एक समान राशि रुपये 10 हजार की गई है। (अधिसूचना दिनांक 07.10.2009)

इसी के साथ ही बी.पी.एल. परिवारों में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से 10वीं कक्षा (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के

विवाह पर रुपये 5 हजार की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि तथा स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर रुपये 10 हजार की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत इस योजना में राशि रुपये 99 लाख 30 हजार व्यय किये गये थे, जिसे बढ़ाकर वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में 700 लाख किया है, जिससे सम्पूर्ण पात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता योजना

आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 10 हजार की सहायता प्रदान की जाती रही है।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना में अधिक से अधिक विधवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पात्रता नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए विधवा के व्यस्क पुत्र की आयु 18 वर्ष के स्थान पर व्यस्क कमाऊ पुत्र की आयु 25 वर्ष की गई है।

इसी के साथ ही विधवा की वार्षिक आय रुपये 12 हजार के स्थान पर रुपये 50 हजार की गई ।

कोई भी पात्र विधवा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2009-10 में इस योजना हेतु राशि रुपये 3 करोड़ 80 लाख का संशोधित प्रावधान किया गया है।

निःशक्तजनों का कल्याण

राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत निःशक्तजनों के कल्याण के लिये कृत संकल्प है। राज्य में निःशक्तजनों की जनसंख्या का प्रतिशत 2.49 है। वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के निःशक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं में अधिक आर्थिक लाभ दिये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्न हैं :-

संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदानः- पात्र निःशक्तजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिये पूर्व में वार्षिक आय सीमा रुपये 9 हजार थी जिसे बढ़ाकर रुपये 25 हजार किया गया है तथा सहायता राशि रुपये 2 हजार से बढ़ाकर रुपये 5 हजार की गई है।

विस्वास योजना (विकलांगों को स्वरोजगार हेतु सहायता):- पात्र निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु वार्षिक आय सीमा रुपये 24 हजार के स्थान पर रुपये 50 हजार एवं ऋण सीमा रुपये 50 हजार के स्थान पर रुपये 1 लाख की है। ऋण राशि पर 30 प्रतिशत अनुदान देय है।

विकलांग विवाह, परिचय सम्मेलनः- निःशक्त युवक-युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु पूर्व में देय अनुदान राशि रुपये 20 हजार को बढ़ाकर रुपये 25 हजार प्रति दम्पत्ति किया गया है तथा पात्रता की वार्षिक आय सीमा रुपये 12 हजार से बढ़ाकर रुपये 50 हजार की है।

स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण व पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण योजना (आयोजना भिन्न मद अन्तर्गत संचालित स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु) अन्तर्गत छात्रावासी निःशक्त विद्यार्थियों का मैस भत्ता बजट घोषणा 2009-10 के अनुसार रुपये 725 से बढ़ाकर रुपये 1000 प्रतिमाह प्रति छात्र किया गया है। इस हेतु आवश्यक राशि रुपये 1 लाख 25 हजार का अतिरिक्त प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष से योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा निःशक्तजनों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में निःशक्तजनों का सर्वे कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। शहरी क्षेत्र में यह कार्य "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के दौरान सम्पन्न किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के दौरान जो आगामी वित्तीय वर्ष में सम्पन्न किया जायेगा।

निःशक्तजनों के कल्याण हेतु आगामी वर्ष में निःशक्तजन नीति बनाया जाना प्रस्तावित है।

आगामी वर्ष से सामान्य श्रेणी के निःशक्त विद्यार्थियों को भी उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में फीस का पुनर्भरण किया जाना प्रस्तावित है।

निःशक्त बालक-बालिकाओं हेतु संचालित निजी विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

वर्तमान में संचालित राज्य के एक मात्र मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर में 230 महिलायें एवं बच्चे रह रहे हैं, जबकि इस केंद्र की क्षमता 75 की ही है। अतः जयपुर एवं जोधपुर में 250-250 की क्षमता के दो पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

भरतपुर सम्भाग मुख्यालय पर रुपये 1 करोड़ 50 लाख की लागत से नारी निकेतन एवं पुनर्वास गृह हेतु भवन निर्माण का कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

पेंशन योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत निम्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा/परित्यक्ता पेंशन नियम, 1974

58 वर्ष से अधिक के पुरुष एवं 55 वर्ष से अधिक की महिला एवं किसी भी आयु की विधवा/परित्यक्ता, जो निराश्रित हों, राजस्थान के निवासी हों तथा उनके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या अधिक का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हों, को इन नियमों के तहत पेंशन दी जा रही है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में सूचीबद्ध एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एवं किसी भी आयु की विधवा जो एच.आई.वी./एड्स पाजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जाकर पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

वर्तमान में दी जा रही प्रति माह पेंशन दरों के अनुसार 55 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु की महिला को रुपये 200; 58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम तक के पुरुष को रुपये 100; 65 वर्ष एवं उससे अधिक के पुरुष अथवा महिला को रुपये 400; पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 65 वर्ष से कम हों, को रुपये 300; दम्पत्ति में से किसी एक की भी आयु 65 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर रुपये 500; दोनों ही 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हों तो उन्हें रुपये 600; तथा किसी भी आयु की विधवा/ परित्यक्ता को रुपये 400 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेंशन की दरों में आगामी वर्ष से बढ़ोतरी प्रस्तावित की है, जो निम्नानुसार है :-

75 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों को रुपये 750 प्रति माह की दर से पेंशन देय होगी।

75 वर्ष से कम आयु के पात्र सभी पेंशनर्स को रुपये 500 प्रति माह की दर से पेंशन देय होगी।

वर्तमान में संयुक्त पेंशन के मामलों में विभिन्न दरों पर पेंशन देय है। दरों में बढोतरी एवं इनको सरलीकृत करते हुए अब पति-पत्नी की आयु 75 वर्ष से अधिक होने पर रुपये 1 हजार 5 सौ एवं 75 वर्ष से कम होने पर रुपये 1 हजार रुपये की पेंशन देय होगी।

विधवा पेंशन की दरें भी रुपये 400 से बढ़ाकर रुपये 500 एवं 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर रुपये 750 दी जाएगी।

राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965

राजस्थान के निवासी जो 8 वर्ष से अधिक के हों, निःशक्तता से ग्रसित होने से आजीविका कमाने योग्य न हो तथा जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हो और उनका कोई निकटतम सम्बन्धी 25 वर्ष से अधिक का न हो और वह आजीविका कमाने योग्य न हो तो उसे पेंशन देय है।

पूर्व में इन नियमों के तहत केवल अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को ही पेंशन दी जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 9997 दिनांक 08 जनवरी, 2010 से उपरोक्त दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य 5 श्रेणियों यथा: कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति ह्रास, मानसिक मन्दता, कम दृष्टि एवं मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान में इन व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति प्रति माह रुपये 400 पेंशन दी जा रही है, जिसे माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा में 75 वर्ष तक की आयु के लिए रुपये 500 एवं 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों को रुपये 750 प्रति व्यक्ति प्रति माह दिये जाना के प्रस्तावित है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं

राज्य में वर्तमान में निम्न 3 राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं संचालित हैं :-

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत बी.पी.एल.

परिवार के 65 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धों को पेंशन दी जा रही है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य की विधवा को पेंशन दी जा रही है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य के निःशक्तजनों यथा- अंधता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन निःशक्तता, मानसिक मन्दता, कम दृष्टि एवं मानसिक रुग्णता से ग्रस्त जो बहुनिःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है, को पेंशन दी जा रही है।

उपरोक्त तीनों राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों के लिए केन्द्र सरकार के अंश के रूप में प्रति व्यक्ति प्रति माह रुपये 200 प्राप्त होते हैं।

जनश्री बीमा योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2009-10 में योजना से लगभग 26.00 लाख बी.पी.एल. परिवारों और 4,684 आस्था कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत देय लाभ

प्राकृतिक मृत्यु होने पर	रुपये 30 हजार
दुर्घटना मृत्यु होने पर	रुपये 75 हजार
स्थायी अपंगता	रुपये 75 हजार
आंशिक अपंगता	रुपये 37 हजार 5 सौ

इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में रुपये 18.45 करोड़ की राशि प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजनान्तर्गत इन परिवारों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को (अधिकतम दो छात्रों को) छात्रवृत्ति 100 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह तिमाही आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है।

योजनान्तर्गत 14 अगस्त, 2006 से फरवरी, 2010 तक 25 हजार से अधिक मृत्युदावों के भुगतान पर लगभग 78 करोड़ एवं 2 लाख 70 हजार से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 32 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

अनुसूचित जाति उप-योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप-योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सदन के मध्य मैं पूर्व में विश्वास दिला चुका हूं कि इन वर्गों के लिये संचालित कार्यक्रमों हेतु व्यय होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से पृथक बजट उप शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा जिससे इनके विकास पर व्यय होने वाली राशि का सही आकलन हो सकेगा।

अतः उपरोक्त उपलब्धियों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उत्थान हेतु पूर्णतया समर्पित है तथा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी वर्षों में इन वर्गों के विकास हेतु ठोस योजनाएं संचालित की जा कर इनका अधिकाधिक विकास किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क) का अनुदान की मांग संख्या-7- निर्वाचन के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया उत्तर

माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके जवाब उनको व्यक्तिश: पहुंचा दिए जायेंगे। जो प्रस्ताव आये हैं उनमें से कुछ निर्वाचन विभाग से संबंधित हैं तथा कुछ राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं जिसका प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग है।

राज्य के निर्वाचन विभाग के मुख्य कार्य यथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार करना, इनके पुनरीक्षण का कार्य, मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद्, विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन कराना है। ये सभी कार्य विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए कराये जाते हैं।

दिनांक 1.1.2009 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य माह जनवरी-फरवरी 2009 में किया गया था। इसके अन्तर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 7 जनवरी, 2009 को किया गया था। 148 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 12 फरवरी, 2009 को एवं 52 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों अन्तिम प्रकाशन दिनांक 20 फरवरी, 2009 को किया गया था। अन्तिम प्रकाशन के समय राज्य में कुल मतदाता 3,69,65,121 मतदाता थे। इनमें से पुरुष मतदाता 1,94,75,572 एवं महिला मतदाता 1,74,89,549 थीं। इनके अलावा 94,771 सेवा नियोजित मतदाता पंजीकृत थे। इस प्रकार राज्य में कुल 3,70,59,892 मतदाता थे। दिनांक 1.1.2010 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण आयोग से कार्यक्रम प्राप्त होने पर कराया जाएगा।

राज्य में लगभग 91 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये हुए हैं। इस समय राज्य में फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार की हुई हैं। करीब 84 प्रतिशत मतदाताओं की फोटो मतदाता सूची में उपलब्ध है। आयोग के निर्देशानुसार इस प्रतिशत को और बढ़ाने हेतु विभाग प्रयासरत है।

आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने हेतु माह मई-जून में पुन: शिविर आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं। यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निर्वाचन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने पर जो भी व्यय होता है उसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का पचास-पचास प्रतिशत हिस्सा होता है। विधान सभा चुनावों पर व्यय शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। लोक सभा चुनाव पर व्यय केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वहन किया जाता है।

माननीय सदस्यों द्वारा मुख्यतया मतदाता सूची तैयार करना, उसमें नाम हटाना या जोड़ना, मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं पुनर्गठन, आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन, निर्वाचनों के संचालन एवं चुनावों की तिथियां निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। इनके सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विषय भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। इनमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इनके सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता।

माननीय सदस्या श्रीमती संजना आगरी का प्रस्ताव संख्या-2, माननीय सदस्य श्री हरिसिंह रावत का प्रस्ताव संख्या-3, माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेश्वरी का प्रस्ताव संख्या 4, माननीय सदस्य श्री सुंदर लाल का प्रस्ताव संख्या 5, 6 व 7, माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय सैनी का प्रस्ताव संख्या 8, माननीय सदस्य श्री केसाराम चौधरी का प्रस्ताव संख्या 10, माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया का प्रस्ताव संख्या 11, 12, 13, 14 एवं 15 माननीय सदस्य श्री अमराराम का प्रस्ताव संख्या 18 व 19 माननीय सदस्य श्री सुखराम का प्रस्ताव संख्या 20, माननीय सदस्य श्री रामनारायण मीणा का प्रस्ताव संख्या 24 व 25, माननीय सदस्य श्री पेमाराम का प्रस्ताव संख्या 31 व 32, माननीय सदस्य डा. फूलचन्द भिण्डा का प्रस्ताव संख्या 34 व 35, माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ का प्रस्ताव संख्या 37 व 39 इसी श्रेणी में आते हैं। इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ये विषय भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं।